दिसम्बर 2018

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

विशेषांक
ग्राम पंचायत विकास योजना

प्रबंध सम्पादक
शमीम उद्दीन
●
समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा
●
परामर्श
शिवानी वर्मा
डॉ. विनोद यादव
●
सम्पादक
रंजना चितले
●
सहयोग
अनिल गुप्ता
●
वेबसाइट
आत्माराम शर्मा
●
आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

- **खास खबरें :** राज्यपाल ने श्री कमल नाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई 4
- किसानों के दो लाख तक के अल्पकालीन ऋण माफी आदेश जारी 7
- नये नजरिये और नये दृष्टिकोण के साथ परिवर्तन लायें... 8
- **पंचायत राज :** ग्राम पंचायत विकास योजना जन अभियान 10
- सबकी योजना सबका विकास का जन अभियान के प्रदेश में क्रियान्वयन की रूपरेखा... 11
- ग्राम विकास योजना का आधार : बेसलाइन सर्वे 13
- ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता क्यों 23
- ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रमुख घटक एवं चरण 27
- दूसरा चरण पारिस्थितिकीय विश्लेषण 28
- योजना निर्माण का तीसरा चरण 30
- ग्राम पंचायत विकास योजना का चौथा चरण 32
- ग्राम पंचायत विकास योजना का पांचवां चरण 35
- हमारी ग्राम पंचायतें : एक परिचय 39
- **पंचायत गजट :** सबकी योजना सबका विकास अंतर्गत वर्ष 2019-20 की... 46

संपादक जी,
मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीनतम अंक पढ़ा। इस अंक में पंचायतों के डिजिटल ट्रांजेक्शन और करारोपण पर आयोजित की गई कार्यशाला की जानकारी को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इस कार्यशाला का उद्देश्य पंचायतराज व्यवस्था में तेजी लाना और ग्रामीण मध्यप्रदेश को सक्षम और समृद्ध बनाना है। इस कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों ने पंचायत प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन दिया, साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंचों को पुरस्कृत भी किया गया। यह एक अच्छा प्रयास है। पंचायतों के सशक्तीकरण के लिये ऐसी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिये।

- सोनू जाटव
भोपाल (म.प्र.)

संपादक जी,
मध्यप्रदेश पंचायिका का अगस्त माह का अंक पढ़ा। मध्यप्रदेश में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और संधारण के लिये ई-मार्ग सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। यह देश में अपनी तरह का पहला सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को देश के सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है। मध्यप्रदेश पंचायिका के इस अंक में इस सॉफ्टवेयर की विभिन्न उपयोगी जानकारियां प्रकाशित की गयी हैं। ग्रामीण विकास के लिये सरकार द्वारा इस तरह के नवाचार करना एक प्रशंसनीय पहल है। उम्मीद है कि इन नवाचारों से ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आयेगा।

- विकास यादव
सीहोर (म.प्र.)

संपादक जी,
मध्यप्रदेश पंचायिका का अगस्त माह का अंक पढ़ने को मिला। शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की तरह ग्रामीण अंचलों में भी स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। यह बहुत ही अच्छा प्रयास है। इससे ग्रामीण अंचलों में स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही स्वच्छता के अभाव में होने वाली बीमारियों से ग्रामीणों को निजात भी मिलेगी।

- दिलीप कुमार
देवास (म.प्र.)

संपादक जी,
मध्यप्रदेश पंचायिका का अगस्त माह का अंक पढ़ा। इस अंक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख परिपत्रों और आदेशों को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इन आदेशों एवं परिपत्रों के प्रकाशन से पंचायत प्रतिनिधियों और आमजन को शासन की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की गतिविधियों की जानकारी मिलेगी। साथ ही ये परिपत्र और आदेश पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायतकर्मियों के लिये मार्गदर्शन का कार्य भी करेंगे।

- शिवम गिन्नौरे
हरदा (म.प्र.)

प्रिय पाठको,

मध्यप्रदेश में विगत दिनों संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के उपरांत कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कमल नाथ जी ने मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ 17 दिसम्बर 2018 को ली। पाठकों की जानकारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जी का जीवन परिचय तथा पहला संबोधन भी प्रकाशित है।

ग्रामीण भारत के विकास और निर्माण में पंचायतराज व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायतों के माध्यम से ही गांवों का समग्र विकास संभव है। आगामी वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए जन अभियान, पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। विधानसभा निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से अभियान के अंतर्गत विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन नहीं हो सका है। अभियान संचालित करने के लिये 10 जनवरी 2019 की तिथि निर्धारित की गयी है।

यह अंक विशेषकर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण पर केंद्रित है। योजना निर्माण के प्रमुख अवयव तथा 5 चरणों की योजना की विस्तृत जानकारी दी गयी है। पंचायिका का यह अंक ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए प्रशिक्षण विषय वस्तु अनुरूप तैयार किया गया है।

चरणबद्ध चलने वाले इस अभियान में बेसलाइन सर्वे और सूचीबद्ध किये जाने के बाद संबंधित 29 विभागों से समन्वय कर ग्राम विकास योजना बनायी जायेगी। आपकी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए 'सबकी योजना सबका विकास' जन अभियान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य और निर्देशों को प्रकाशित किया जा रहा है।

उम्मीद है कि यह अंक ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए उपयोगी साबित होगा। हर बार की तरह इस बार भी पंचायत गजट में विभागीय आदेश प्रकाशित किए गए हैं। कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(शमीम उद्दीन)
संचालक, पंचायत राज

राज्यपाल ने श्री कमल नाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कमल नाथ को प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने किया।

शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं श्री एच.डी. देवगौड़ा, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत एवं उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलेट, आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमार स्वामी, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री श्री नारायण सामी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री शरद पवार, श्री शरद यादव, श्री फारुख अब्दुल्ला, श्री तेजस्वी यादव, श्री बाबूलाल मरांडी, पंजाब राज्य के मंत्री श्री नवजोत सिंह सिद्धू और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री कैलाश जोशी, श्री बाबूलाल गौर शामिल हुए। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के सांसद, विधायक, गणमान्य नागरिक तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री

श्री कमल नाथ : जीव

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का जन्म 18 नवम्बर 1946 को कानपुर, उत्तरप्रदेश में हुआ। आपके पिता स्व. श्री महेन्द्र नाथ और माता श्रीमती लीला नाथ हैं। श्रीमती अलका नाथ के साथ 27 जनवरी, 1973 को विवाह बंधन में बँधे श्री कमल नाथ के दो पुत्र हैं। श्री कमल नाथ ने सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता से बी.कॉम. तक शिक्षा प्राप्त की।

राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता और कृषक श्री कमल नाथ वर्ष 1980 में पहली बार मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिये निर्वाचित हुए। इसके बाद वे वर्ष 1985 में दूसरी बार आठवीं लोकसभा के लिये, वर्ष 1989 में नवीं लोकसभा के लिये तीसरी बार और वर्ष 1991 में दसवीं लोकसभा के लिये छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से ही चौथी बार निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1991 से 1995 की अवधि में केन्द्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वर्ष 1995-96 में केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे। वर्ष 1998 में श्री कमल नाथ पुन: छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से पाँचवीं बार 12वीं लोकसभा के लिये निर्वाचित हुए। श्री नाथ वर्ष 1998 से 1999 के दौरान पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थाई समिति, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

श्री कमल नाथ वर्ष 2018 में 26 अप्रैल को मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। उन्हें 14 दिसम्बर, 2018 को मध्यप्रदेश कांग्रेस विधायक दल का नेता निर्वाचित किया गया। श्री नाथ ने 17 दिसम्बर, 2018 को मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

न-परिचय

और विद्युत मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री कमल नाथ वर्ष 1999 में छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से ही 13वीं लोकसभा के लिये छठवीं बार निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1999 से वर्ष 2000 की अवधि में वित्त संबंधी स्थाई समिति के सदस्य और वर्ष 2002-2004 की अवधि में खान और खनिज मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री नाथ वर्ष 2001 से 2004 की अवधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहे और वर्ष 2004 में सातवीं बार 14वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री नाथ ने 23 मई, 2004 से वर्ष 2009 की अवधि में केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री का दायित्व सम्हाला। वे वर्ष 2009 में छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से ही आठवीं बार 15वीं लोकसभा के लिये पुनः निर्वाचित हुए और वर्ष 2009 से 18 जनवरी, 2011 की अवधि में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रहे। इसके बाद वे 19 जनवरी, 2011 से 26 मई, 2014 की अवधि में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री और 28 अक्टूबर, 2012 से 26 मई, 2014 की अवधि के लिये केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। श्री नाथ मई, 2014 में छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से ही नवीं बार 16वीं लोकसभा के लिये पुनः निर्वाचित हुए। श्री नाथ को 4 से 6 जून, 2014 की अवधि में लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। वे एक सितम्बर, 2014 से संसद की वाणिज्य संबंधी स्थाई समिति और वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री नाथ की प्रकाशित पुस्तकों में इण्डियाज एनवायरनमेंटल कंसर्न्स, इण्डियाज सेंचुरी और भारत की शताब्दी, प्रमुख है। श्री नाथ की जनजातीय और दलित वर्गों का विकास, वन्य-जीव, बागवानी, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों में विशेष अभिरुचि है। आमोद-प्रमोद और मनोरंजन के रूप में उन्हें संगीत सुनना पसंद है।

श्री नाथ कोलकाता क्रिकेट और फुटबाल क्लब, टॉलीगंज क्लब कोलकाता, दिल्ली फ्लाइंग क्लब के सदस्य और एक्स चीफ पैट्रन, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य रहे हैं।

श्री नाथ ने अनेक देशों की यात्राएँ की हैं। वे वर्ष 1982, 1983 में संयुक्त राष्ट्र गए भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य रहे। उन्होंने वर्ष 1983 में गुटनिपेक्ष देशों के सम्मेलन, वर्ष 1987 में आईपीयू सम्मेलन, निकारागुआ, वर्ष 1988 में ग्वाटेमाल और वर्ष 1990 में साइप्रस में भाग लिया। वे वर्ष 1989 में टोक्यो में, वर्ष 1989 में साइप्रस; और 1990 में यूनाइटेड किंगडम गये शिष्ट मंडल में शामिल रहे। वर्ष 1990 में पेरिस में दसवें विश्व वानिकी सम्मेलन में भारतीय

शिष्ट मंडल के नेता रहे। वर्ष 1991 में वे यूएनईपी शासी परिषद्, नैरोबी, प्रेपकाम-चार पर विचार-विमर्श, न्यूयार्क और क्वालालम्पुर सम्मेलन में शामिल हुए। वर्ष 1992 में नई दिल्ली में दक्षेस पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की और जून, 1992 में रियो-डी-जेनेरियो में आयोजित यूएनसीईडी में विकासशील देशों के मुख्य वक्ता के रूप में उभरकर सामने आए। श्री नाथ ने फिनलैण्ड, स्वीडन, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, दुबई और यू.के. तथा यूएनसीटीएडी और एएनईपी राष्ट्रीय शिष्टमंडलों के साथ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की दाबोस और स्विट्जरलैण्ड में आयोजित बैठकों का नेतृत्व किया। वे विश्व के विभिन्न भागों में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की तथा इससे संबंधित मंत्रीय/लघु मंत्रीय स्तर की अन्य बैठकों में भी सम्मिलित हुए।

पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री नाथ ने पारिस्थितिकीय संरक्षण और प्रदूषण उपशमन संबंधी राष्ट्रीय नीति का प्रतिज्ञापन और विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री नाथ की नीतिगत पहलों में पर्यावरण अधिकरण की स्थापना, पर्यावरण परीक्षा (ऑडिट) की अवधारणा, वन्य-जीव-प्राणी-जगत और वनस्पति-जगत संरक्षण और सुरक्षा हेतु कदम और पर्यावरण ब्रिगेडों और वनीकरण ब्रिगेडों का गठन (उनके नेतृत्व में वनीकरण और भारत में अवक्रमित भूमि के विकास का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया), पर्यावरण टैरिफ की वैश्विक अवधारणा का प्रतिज्ञापन और वैश्विक उत्सर्जन कोटे की अवधारणा का प्रतिपादन शामिल है।

वस्त्र राज्य मंत्री के रूप में देश में सूती कपड़े के उत्पादन और निर्यात में नए कीर्तिमान स्थापित किए और नई वस्त्र नीति का सफल सूत्रपात किया। वर्ष 2004 में केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में पहली व्यापक विदेश व्यापार नीति प्रतिपादित की, जिसमें निर्यात के साथ-साथ रोजगार के अवसरों पर भी ध्यान दिया गया। इस अवधि के दौरान भारत के विदेश व्यापार में तीन गुना वृद्धि हुई और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

में सात गुना वृद्धि हुई।

श्री नाथ ने बौद्धिक सम्पदा और औद्योगिक डिजाइन के क्षेत्रों में विशिष्ट प्रयास किए। उन्हीं के प्रयासों से विशिष्ट आर्थिक जोन (एसईजेड) अधिनियम बनाया गया। आर्थिक मुद्दों पर श्री नाथ की दृढ़ पकड़ और सम्पूर्ण राजनयिक कौशल विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौतों में स्पष्ट दिखाई दिए, जहाँ वे जी-20 और जी-33 और एनएएमए-11 जैसे संघों के प्रमुख निर्माताओं में से एक के रूप में उभरे। श्री नाथ द्वारा वर्ष 2005 में हांगकांग में हुई विश्व व्यापार संघ की मंत्रीय स्तर की बैठक में विकासशील देशों के हितों के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों ने सदस्यों को बहुत प्रभावित किया।

श्री नाथ शासी बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद; लाजपतराय स्मारक महाविद्यालय समिति, गाजियाबाद के अध्यक्ष और सेंटर फॉर एडवांस्ड एजुकेशन, नागपुर के चेयरमैन हैं।

श्री कमल नाथ पूरे एशिया और विश्व में एफडीआई पर्सनैलिटी ऑफ दी इअर अवॉर्ड, 2007 से सम्मानित हैं। वे राष्ट्रीय कोयला खान मजदूर फेडरेशन और भारत युवक समाज से भी पुरस्कृत हुए हैं।

वर्ष 1968 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने श्री नाथ सितम्बर 2002 से जुलाई 2004 के दौरान कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य भी रहे हैं। मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत होने के पहले वे लोकसभा के लिए नौ बार निर्वाचित हुए और सोलहवीं लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं।

श्री नाथ को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 16वीं लोकसभा की बैठक शुरू होने अर्थात् 4 जून, 2014 से अध्यक्ष का चुनाव होने तक अर्थात 6 जून, 2014 तक अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

श्री नाथ वर्ष 2018 में 26 अप्रैल को मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। श्री कमलनाथ को 14 दिसम्बर, 2018 को मध्यप्रदेश कांग्रेस विधायक दल का नेता निर्वाचित किया गया। श्री नाथ ने 17 दिसम्बर, 2018 को मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

किसानों के दो लाख तक के अल्पकालीन ऋण माफी आदेश जारी

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने 17 दिसम्बर को शपथ ग्रहण के तत्काल बाद कृषि ऋण माफी, रोजगार सृजन की संभावनाओं और कन्या विवाह और निकाह योजना की राशि बढ़ाने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिये। कृषि ऋण माफी के संबंध में किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा 17 दिसम्बर को प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में राज्य शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाये गये किसानों के दो लाख रुपये (2.00 लाख) की सीमा तक का 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ करने का आदेश जारी कर दिया गया। राज्य शासन के इस निर्णय से लगभग 34 लाख किसान लाभान्वित होंगे। फसल ऋण माफी पर संभावित व्यय 35 से 38 हजार करोड़ अनुमानित है।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कृषि ऋण माफी की योजना को तत्काल लागू करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति भी

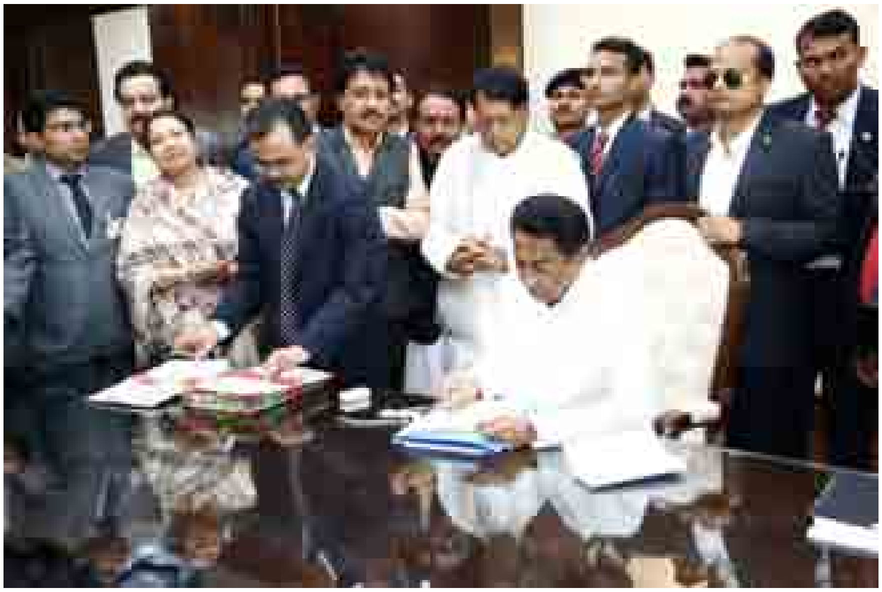

बनायी है। यह समिति कृषि ऋण माफी योजना को तत्काल क्रियान्वित करेगी। श्री कमल नाथ ने कहा कि कृषि ऋण माफी हमारा महत्वपूर्ण चुनावी वचन था, जिसे हम जल्दी ही पूरा करेंगे।

चार टेक्सटाइल, गारमेन्ट पार्क स्थापित होंगे

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने टेक्सटाइल्स, गारमेन्ट इण्डस्ट्री में रोजगार सृजन की अधिक संभावनाओं को देखते हुए राज्य के

चार संभागों में टेक्सटाइल, गारमेन्ट पार्कों की स्थापना का निर्णय लिया है। ये पार्क इन्दौर संभाग के धार जिले के मोहना औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल संभाग के भोपाल जिले के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र, जबलपुर संभाग के छिन्दवाड़ा में लेहगडुआ औद्योगिक क्षेत्र और उज्जैन संभाग के रतलाम जिले के जावरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे।

अब 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोज़गार सुलभ करवाने के उद्देश्य से उद्योग संवर्धन नीति 2018 और एम.एस.एम.ई. विकास नीति-2017 में संशोधन का निर्णय लिया है। संशोधन के अनुरूप अब राज्य शासन से वित्तीय एवं अन्य सुविधाएँ लेने वाली औद्योगिक इकाइयों को 70 प्रतिशत रोज़गार मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को देना अनिवार्य होगा।

कन्या विवाह-निकाह योजना की राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार

मुख्यमंत्री ने कन्या विवाह और निकाह योजना में संशोधन कर कन्या की खुशहाली के लिये अनुदान राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये करने का निर्णय लिया। साथ ही अब सभी आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा से होने वाले एकल और सामूहिक विवाह में भी कन्या को सहायता दी जायेगी। साथ ही इस योजना में आय सीमा का बंधन भी समाप्त कर दिया गया है। अब सभी सामूहिक विवाह करने वालों को इसका लाभ मिलेगा।

नये नजरिये और नये दृष्टिकोण के

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से अपने पहले संबोधन में कहा कि यथास्थिति बनाये रखने के दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होगी। जो चल रहा है, चलने दें या ऐसे ही चलता है, जैसा दृष्टिकोण अब नहीं चलेगा। नये नजरिये और नये दृष्टिकोण के साथ व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। उन्होंने मुख्य सचिव को कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र सौंपते हुए कहा कि यह जनता की अपेक्षाओं का दस्तावेज है। इसे हर वर्ग ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि नये संसाधनों को तलाशने और 'आउट ऑफ बाक्स' सोच अपनाना होगी। फिजूल खर्ची को रोकना होगा। जनता का पैसा अर्थपूर्ण तरीके से खर्च करना होगा क्योंकि हम सब जनता के पैसों के प्रति जवाबदेह हैं। मुख्यमंत्री ने वचन पत्र पर आधारित योजनायें बनाने की अपेक्षा की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे स्वयं में परिवर्तन लायें। नये दृष्टिकोण से चीजों को देखें, परखें। उन्होंने कहा कि सुधार और परिवर्तन में फर्क है। अचीवमेंट और फुलफिलमेंट में फर्क है। फुलफिलमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और सरकार का लक्ष्य एक है।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ शपथ लेने के बाद मंत्रालय पहुँचे और नये ऐनेक्सी भवन का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली परिचय बैठक में अपना संबोधन दिया।

व्यवस्था में परिवर्तन है जरूरी

श्री कमल नाथ ने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने बड़ी अपेक्षाओं के साथ नई सरकार चुनी है। लोगों ने सिस्टम पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये व्यवस्था में परिवर्तन करना जरूरी है। नये नजरिये, नये दृष्टिकोण और

...क साथ परिवर्तन लायें : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

रचनात्मकता के साथ परिवर्तन लाना होगा। सिस्टम कई सालों से एक जैसा चल रहा है जबकि दुनिया बदल रही है, जो पुरानी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, उन्हें जारी रखना समय के अनुरूप नहीं है।

नई पीढ़ी पर पर ध्यान दें

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि युवाओं के बारे में सोचना होगा। नई पीढ़ी की जरूरतों को समझना होगा क्योंकि वे ही प्रदेश का निर्माण करेंगे। प्रदेश की रक्षा करेंगे। रोजगार और बेरोजगार के बीच की खाई भी चुनौती है। इसके लिये उन्होंने अधिकरियों से अपनी विचार प्रक्रिया में परिवर्तन लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह सोचना होगा कि निवेश कैसे आये। उन्होंने कहा कि सिर्फ नीतियों और मांगने से निवेश नहीं आता। निवेश को आकर्षित करना पड़ेगा।

फिजूल खर्ची रोकें

श्री कमल नाथ ने कहा कि कई बार योजनाएं अच्छी होती हैं लेकिन उनका डिलीवरी सिस्टम खराब होता है, इसलिये वे असफल हो जाती हैं। ग्राम पंचायत से लेकर मंत्रालय तक परिवर्तन लाना होगा। कौन से ऐसे विभाग हैं, जिन्हें सक्षम बनाने की जरूरत है और कौन से विभाग हैं, जिन्हें बंद करना उचित होगा। इस दिशा में भी सोचें। कई निगम मंडल सजावटी बन गये हैं। कहां फिजूल खर्ची हो रही है, यह देखना होगा। यह काम प्रशासनिक टीम की क्षमता और राजनैतिक इच्छाशक्ति से किया जा सकता है।

विभागों को मजबूत बनायें

श्री कमल नाथ ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभागों को मजबूत बनायें। केवल मुख्यमंत्री का कार्यालय ही शक्तिशाली नहीं हो। शक्ति का विकेन्द्रीकरण जरूरी है। इसलिये हर विभाग सक्षम और जनता के प्रति जवाबदेह हो। ऐसी व्यवस्था बनायें, जो पूरी तरह से जवाबदेह हो।

हर हाल में करें भ्रष्टाचार पर नियंत्रण

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि यह सोचें कि कैसे भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार सिस्टेमैटिक हो गया है। गाँव-गाँव में फैल गया है और सिस्टम का ही अंग बन गया है। इसी के कारण राजनीति में गिरावट आई है। भ्रष्टाचार को हर हाल में नियंत्रित करना होगा। उन्होंने इसके लिये सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सक्षम बनाया जायेगा ताकि वे भ्रष्टाचार को प्रभावी तरीके से रोकें। बाधा डालने और रोकने का सिस्टम ठीक नहीं है। अपने अधीनस्थ स्टाफ को हमेशा प्रेरित करते रहें। सबके सहयोग से ही यह संभव होगा।

श्री कमल नाथ ने कहा कि सभी विभागों का परिचयात्मक प्रस्तुतिकरण शुरू होगा फिर आवश्यकतानुसार विस्तृत समीक्षा होगी। उन्होंने मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह को कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र सौंपा। बैठक में सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।

ग्राम पंचायत विकास योजना जन अभियान

किसी भी समाज, गाँव, प्रान्त अथवा देश का समुचित विकास तभी संभव है जब विकास योजना में स्थानीय जन की भागीदारी सुनिश्चित हो।

सम्पूर्ण विकास के लिए स्थान विशेष की स्थानीय मेधा आवश्यकता और क्षमता का आकलन किया जाये और उसे विकास योजना में शामिल किया जाये। स्थानीय जन सहभागिता के माध्यम से योजना बने, इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा योजना बनाई गई है, प्रदेश के संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रदेश में 'सबकी योजना सबका विकास' के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए जन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में प्रदेश की सभी 22812 ग्राम पंचायतों का बेस लाइन सर्वे किया जायेगा, रैंकिंग की जायेगी एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष 2018-19 की ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) बनायी जायेगी।

पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार एवं पंचायती राज संस्थाओं और संबंधित लाइन विभागों के समन्वय से वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार होगी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गांवों के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए हर पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना आवश्यक कर दिया है। ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया को व्यापक और सहभागिता पूर्ण बनाया गया है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों से संबंधित विभागों की योजनाओं का एक साथ अभिसरण किया गया है। यह कार्य जनता की सहभागिता से किया जायेगा। सबकी योजना, सबका विकास के रूप में चलने वाले इस अभियान में अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जायेगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना में जन अभियान के प्रथम चरण में दो अक्टूबर की ग्राम सभा बेसलाइन सर्वे का अनुमोदन और उसके बाद दो विशेष ग्राम सभाएं होंगी, जिसमें वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत विकास योजना का अनुमोदन किया जायेगा।

सबकी योजना सबका विकास का जन अभियान के प्रदेश में क्रियान्वयन की रूपरेखा एवं निर्देश

गांवों के समग्र विकास और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए विकास में हर जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दो अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2018 तक 'सबकी योजना सबका विकास' अभियान (GPDP) चलाया जा रहा है। भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाये जा रहे इस अभियान में शासकीय अमला और जन भागीदारी से विकास योजना बनायी जायेगी।

पंचायतवार तथा ग्रामवार मिशन अंत्योदय के प्रपत्र में बेसलाइन सर्वे किया जायेगा, फिर इसे मोबाइल एप पर अपलोड कर एकत्रित डाटा को लाइन विभाग के सहयोग से 2 अक्टूबर 2018 की ग्रामसभा में प्रस्तुत करने का प्रावधान है। जिला कलेक्टर इस अभियान के नोडल अधिकारी तथा जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उनके सहायक होंगे। 'सबकी योजना सबका विकास' के तहत वर्ष 2019-20 के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत की 'ग्राम पंचायत विकास योजना' बनाने के लिए दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2018 तक आयोजित जन अभियान का विवरण-

- अभियान अंतर्गत पूर्व में मिशन अंत्योदय के तहत किये गये सर्वेक्षण के अनुरूप शेष ग्राम पंचायतों के 28 सितंबर 2018 तक बेसलाइन सर्वे करने के लिए 10 दिसम्बर 2018 तक फेसिलिटेटर की नियुक्ति किया जाना।
- SIRD, जबलपुर द्वारा निर्धारित कैलेण्डर अनुसार फेसिलिटेटर तथा ग्राम रोजगार सहायक सभी जनपदों का सचिवों का प्रशिक्षण किया जावेगा।
- ग्रामसभाओं के आयोजन के लिए कार्यक्रम तैयार कर www.gpdp.nic.in पर अपलोड करना।
- ग्राम सभाओं में विभागों के फ्रंटलाइन वर्कर अपने-अपने विभाग की योजना प्रस्तुति करेंगे।
- 33 जिलों में SRLM बेसलाइन सर्वे का कार्य अपने कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन से करवाया जायेगा। इन जिलों की ग्राम पंचायतों में CRPs ही फेसिलिटेटर्स (समन्वयक) रहेंगे। इनके सहयोग के लिए ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक, सहायक के रूप में कार्य करेंगे।
- कलेक्टर द्वारा 33 जिलों में SRLM बेसलाइन सर्वे का कार्य तथा ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण करने, ग्रामसभा आयोजित करने के लिए कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को

योजना बनाने के मुख्य दिशा-निर्देश

- **विकास के लिए पहचाने जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र और महत्वपूर्ण अंतर को लक्षित करने की आयोजना की प्रक्रिया।**
- **प्रक्रिया पहचान अंतराल/समस्याओं के लिए हस्तक्षेप की संरचना के साथ शुरू होगी जो उन्हें मापनीय इकाइयों में परिवर्तित करेगी।**
- **लागत आधारित गतिविधियों को केवल धन की उपलब्धता के अनुसार ही योजनाबद्ध किया जाना चाहिए।**
- **वित्तपोषण की गतिविधि को कई योजनाओं द्वारा साझा किया जा सकता है।**

योजना बनाना

- **पहचाने गए अंतराल के लिए, परियोजनाओं/गतिविधियों की योजना बनाई गई है। परियोजना/गतिविधि का आउटपुट है-**
  - **परिसंपत्ति निर्माण**
  - **परिसंपत्ति का रखरखाव**
  - **योजनाओं को इनपुट उपलब्ध कराना (राज्य एवं केन्द्रीय)**
  - **सामुदायिक संघटन (गैर लागत गतिविधियां) के लिए**
- **सामाजिक सौहार्द्र**
- **सामाजिक और योजना संबंधी मुद्दों आदि पर जागरूकता पैदा करना**
- **बुनियादी सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता, सेप्टिक प्रबंधन, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तूफान जल निकासी, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव, सड़कों का रखरखाव, फुटपाथ, पथ-प्रकाश, कब्रिस्तान और श्मशान भूमि आदि सहित आवश्यक नागरिक सेवाओं के वितरण से संबंधित गतिविधियां। केवल एफएफसी आवंटन के अनुसार योजना बनाई जाएगी।**
- **दीर्घकालीन परियोजनाओं में विभिन्न वार्षिक योजनाओं की कई गतिविधियां हो सकती हैं।**

फेसिलिटेटर्स के रूप में ग्राम पंचायतवार नियुक्ति करेगा। CRPs की सूची SRLM के DPM उपलब्ध करायेंगे।

- SRLM जिलों में बेसलाइन सर्वे का कार्य ग्राम रोजगार सहायक (GRS) करेंगे। इन 18 जिलों की ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक फेसिलिटेटर्स (समन्वयक) रहेंगे। इनकी नियुक्ति फेसिलिटेटर्स के रूप में कलेक्टर द्वारा की जावेगी।
- इस अभियान के लिए सचिव तथा लाइन विभाग का मैदानी अमला अनिवार्य रूप से कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एवं ग्राम रोजगार सहायक के साथ समन्वय कर, बेसलाइन सर्वे तथा ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण करने में पूर्ण सहयोग करायेंगे।
- जिला कलेक्टर ग्राम सभाओं का ग्रामवार कैलेण्डर जारी करेंगे तथा उसे पोर्टल पर अपलोड करायेंगे।
- जिला कलेक्टर 29 विषयों से संबंधित जिला अधिकारी, खण्ड अधिकारी को इन ग्राम सभाओं में स्वयं एवं अधीनस्थ अमले को उपस्थित रहने के लिए आदेश जारी करेंगे, जिससे लाइन विभाग के अधिकारी बेसलाइन सर्वे एवं ग्राम सभाओं में उपस्थित रहकर अपने विभाग की जानकारी देंगे तथा ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में अपने विभाग की जानकारी का समावेश करवायेंगे।
- कार्यक्रम 'सबकी योजना सबका विकास' अन्तर्गत बेसलाइन सर्वे, जीपीडीपी निर्माण, लाइन विभाग का दायित्व आदि की रूपरेखा के लिए कलेक्टर द्वारा समस्त लाइन विभाग के जिला तथा खण्ड अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेंगे।
- जनपद स्तर पर अभियान के सुचारु तथा सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नोडल अधिकारी रहेंगे तथा क्लस्टर/संकुल स्तर पर पीसीओ, सब इंजीनियर, एडीईओ नोडल अधिकारी रहेंगे।
- बेसलाइन सर्वे हेतु व्यय, मानदेय, प्रशिक्षण शुल्क आदि SRLM एवं NREGS मद से व्यय होगा।
- प्रशिक्षण- CRPs/फेसिलिटेटर्स एवं जीआरएस तथा ग्राम पंचायत सचिव को एसआईआरडी जबलपुर द्वारा खण्ड स्तर पर 02 से 03 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस प्रशिक्षण में बेसलाइन सर्वे का प्रपत्र, मिशन अंत्योदय App तथा GPDP निर्माण के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- **अभियान के अंतर्गत समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग प्रक्रिया तथा दिशा-निर्देश भारत सरकार के पोर्टल www.gpdp.nic.in पर उपलब्ध है।**

इस तरह 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक चलने वाले इस अभियान में जिला कलेक्टर की निगरानी तथा मार्गदर्शन के तहत निर्धारित समय सीमा में बेसलाइन सर्वे सम्पन्न होगा।

सम्पूर्ण प्रक्रिया और क्रियान्वयन का विवरण पोर्टल पर रहेगा। इससे विकास की एक पारदर्शी व्यवस्था विकसित होगी। जन भागीदारी और शासन-प्रशासन का यह सामूहिक प्रयास ही 'सबकी योजना सबका विकास' अभियान का महत्वपूर्ण पक्ष है।

● प्रस्तुति : हेमलता हुरमाड़े

अंतराल की पहचान एवं ग्राम सभा में चर्चा

- **उपलब्ध इनपुट के आधार पर प्लान प्लस में अंतरालों की रिपोर्ट की जा सकती है।**
  - **विकास संकेत - अंत्योदय मिशन के मापदंड के तहत पंचायत का लक्ष्य 75 या उससे अधिक प्राप्त करने का होना चाहिए।**
  - **योजना कार्यान्वयन - योजना कार्यान्वयन लक्ष्य 100% संतुप्ति होना चाहिए।**
- **ग्राम सभा द्वारा सत्यापित अंतराल के लिए, यह अंतराल और प्रस्तावित हस्तक्षेप के कारणों की पहचान कर सकता है।**
- **ग्राम सभा प्रस्तावित हस्तक्षेप के साथ-साथ 29 क्षेत्रों में से किसी में भी अतिरिक्त समस्याएं अंतराल को दर्ज कर सकती हैं।**
- **पहचाने गए अंतराल को गंभीर, मध्यम और लघु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।**

ग्राम पंचायत योजना प्रकाशन

- **एक बार योजना के लिए डेटा प्रविष्टि पूरी हो जाने और योजना को मंजूरी मिल जाती है, तो अंतिम योजना का पीडीएफ प्रारूप प्लान प्लस पब्लिक पोर्टल पर प्रकाशित किया जाता है।**
- **योजना की हार्ड कॉपी सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय में रखी जाएगी।**
- **कार्यान्वयन वर्ष की शुरुआत में सार्वजनिक सूचना बोर्ड पर जीपीडीपी की संपत्ति निर्माण गतिविधियां प्रकाशित की जाती हैं।**

ग्राम विकास योजना का आधार : बेसलाइन सर्वे

ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए सबसे पहले बेसलाइन सर्वे किया जाना आवश्यक है। इस सर्वे के आधार पर गांव की आवश्यकता और क्षमता स्पष्ट होती है। इस आधार पर जरूरत के अनुसार विकास योजना का निर्माण किया जा सकता है। बेसलाइन सर्वे का कार्य मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के 33 जिलों में सीआरपीएस द्वारा तथा शेष 18 जिलों में ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा किया जायेगा। 'सबकी योजना सबका विकास' अभियान के तहत एसआरएलएम पंचायतों के विस्तृत आधारभूत सर्वेक्षण के लिए राज्य मिशन निदेशक राज्य नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसी तरह, प्रत्येक जिले में जिला नोडल अधिकारी के रूप में कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत रहेंगे।

संसाधन टीमों का प्रशिक्षण : सर्वेक्षण से जुड़े कर्मियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम एनआईआरडी और पीआर के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के तहत किये जायेंगे। प्रशिक्षण एक कैस्केडिंग मोड में आयोजित किया जाएगा।

- एनआईआरडी और पीआर उनके साथ सूचीबद्ध 60 विषय विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करेगा और राज्यों में प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए भी उन्हें संसाधन व्यक्तियों के रूप में प्रशिक्षित करेगा।
- एसआरएलएम प्रत्येक जिले से 6-8 संसाधन व्यक्तियों को शामिल करेगा।
- पहचान किए गए राष्ट्रीय टीम के सदस्य जिला संसाधन व्यक्तियों का उन्मुखीकरण करेंगे। जिला संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक राज्य हेतु कम से कम दो राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति आवंटित किये जायेंगे।
- संसाधन व्यक्ति जिलों में एनआरएलएम और ग्रामीण रोजगार सेवक के गहन क्षेत्रों में सीआरपी को जो वर्तमान में एनआरएलएम के तहत शामिल नहीं है, को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

3. **मूल्यांकन की अवधि :** राज्यों को पहचाने गये ग्राम पंचायतों में मूल्यांकन पूरा करने की आवश्यकता है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित टीमों की तैनाती की आवश्यकता होगी। प्रत्येक टीम में एक ही क्षेत्र से पहचाने गए एक/दो सामुदायिक संसाधन व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि दो व्यक्तियों की प्रत्येक टीम प्रति दिन कम से कम 2-3 गांवों और दो दिनों में 1 ग्राम पंचायत से जानकारी को एकत्र कर सकती है। राज्यों को मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी और पर्यवेक्षण करने की भी

महत्वाकांक्षी जिलों में ग्राम स्वराज अभियान

ग्राम पंचायत विकास योजना जन अभियान के मुख्य बिन्दु

- अभियान के लिए पोर्टल - www.pdp.nic.in प्रगति दर्ज होगी।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक फेसिलिटेटर।
- मिशन अंत्योदय ऐप पर डेटा का संग्रह।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सूचना बोर्ड।
- जिलों/राज्यों द्वारा ग्राम सभा हेतु कैलेंडर।
- निर्धारित प्रपत्रों अनुसार विशेष ग्राम सभा का आयोजन।
- सभी विभागों द्वारा ग्राम सभाओं में उनके विभागों से संबंधित प्रस्तुतिकरण एवं उसके पश्चात प्रस्ताव पारित कर वहां के फेसिलिटेटर द्वारा अपनी रिपोर्ट में जिओटैग्ड फोटो अपलोड करना।
- तैयार एवं अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना को प्लान प्लस में अपलोड करना एवं उसकी एक कॉपी ग्राम पंचायत कार्यालय में रखना।

ग्राम पंचायत विकास योजना

- अभियान में पंचायत पदाधिकारियों एवं महिलाओं का मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय आजीविका मिशन अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की ग्राम सभाओं में प्रभावी भूमिका रहेगी।
- 2018-19 में किये गये कार्यों के प्रमाणों के आधार पर आकलन कर 2019-20 में ग्यारहवीं अनुसूची के सभी 29 विषयों को जोड़कर GPDP तैयार होगी।
- पंचायत में संचालित सभी कार्यक्रमों, योजनाओं एवं वित्त संबंधी जानकारियों को डिस्प्ले बोर्ड पर दर्शाना एवं ग्राम संवाद एप पर जानकारी उपलब्ध होगी।
- 2 अक्टूबर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक ग्यारहवीं अनुसूची के सभी 29 विषयों को लाइन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों की उपस्थिति एवं उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं ग्राम सभाओं का आयोजन होंगे।
- प्लान-प्लस के माध्यम से समग्र ग्राम पंचायत विकास योजना को व्यावहारिक मजबूती प्रदान करना।

आवश्यकता है। ब्लॉक स्तर पर बीडीओ अथवा बीपीएम कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हो सकता है।

4. **आकलन का तरीका :** सीआरपी टीमों से वार्ड सदस्य अथवा सरपंच, जीपी सचिव, निर्वाचित पदाधिकारी, आईसीडीएस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मचारी, स्कूल शिक्षक, गांव राजस्व अधिकारी, एनजीओ, अन्य लाइन विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। समुदाय आधारित संगठनों आदि से भी जानकारी एकत्रित की जायेगी। सभी व्यक्ति और दल सम्पूर्ण गांव के एससी और एसटी आवासों को कवर करेंगे।

उसी गाँव को बेहतर गाँव माना जाए... जहां यथासंभव सबसे ज्यादा ग्रामोद्योग पनप रहे हैं, जिसमें कोई व्यक्ति निरक्षर न हो, जहां सड़कें साफ-सुथरी हों, जहां मल त्याग के लिए नियत स्थान हों, कुएँ साफ-सुथरे हों, विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द्र हो और अस्पृश्यता की कुरीति पूर्णतः समाप्त हो गई हो, जहां सभी को संतुलित मात्रा में गाय का दूध, घी इत्यादि मिल रहा हो, जहां कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न हो और जहां कोई लड़ाई-झगड़े व चोरी की घटनाएं बिल्कुल न होती हों।

5. **ग्राम सभा द्वारा सत्यापन :** टीम प्रत्येक गांव में एकत्र की गई जानकारी की एक प्रति डाउनलोड करेंगे और इसे अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखेंगे। इसमें ग्राम सभा से प्राप्त सुझावों के आधार पर, आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं।
6. **निधि और अनुमानित प्रशिक्षण लागत का स्रोत**

प्रशिक्षण लागत

क. **एनआईआरडी एंड पीआर पेशेवरों की लागत :** एनआईआरडी एंड पीआर पेशेवरों (5 वर्षों के अनुभव वाले) को राज्य टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए लगाया जाएगा। उन्हें एनआईआरडी एंड पीआर के मौजूदा मानदंडों के अनुसार संसाधन शुल्क और यात्रा लागत का भुगतान किया

गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के लिए जीपीडीपी

सुविधा प्रदाता (फेसिलेटर) की भूमिका

- **मिशन अंत्योदय प्रारूप का उपयोग कर मिशन अंत्योदय (एमए) के तहत सर्वेक्षण करना।**
- **भाग लेने वाले मंत्रालयों एवं विभागों के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के साथ समन्वय करना।**
- **नामित दिन पर जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा की सुविधा।**
- **ग्रामसभा के दौरान कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा दिव्यांग का सामुदायिक संघटन सुनिश्चित करना।**
- **पोर्टल पर ग्राम सभा के संचालन के संबंध में एक रिपोर्ट पेश करना।**
- **जीपीडीपी की तैयारी में सहायता करना।**
- **प्लान प्लस पर जीपीडीपी अपलोड करना।**

जाएगा।

ख. **जिला संसाधन व्यक्तियों का उन्मुखीकरण :** राज्य स्तर पर जिला संसाधन व्यक्तियों को उन्मुख करने के लिए प्रशिक्षण की लागत स्वीकृत एनआरएलएम यूनिट लागत मानदंड के अनुसार होगी- 2000 रुपये (बोर्डिंग और लॉजिंग, यात्रा, प्रशिक्षण हॉल और विविध खर्चों की लागत शामिल है) प्रति प्रतिभागी।

ग. **जिला स्तर पर सीआरपी, जीआरएस, ग्राम रोजगार सहायकों का प्रशिक्षण :** प्रशिक्षण सीआरपी, जीआरएस, छात्र, सहायकों की लागत अनुमोदित इकाई लागत मानदंडों के अनुसार एसआरएलएम द्वारा मिलेगी।

घ. **सीआरपी/अन्य सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को भुगतान :** एसआरएलएम या तो सभी सीआरपी के लिए और यात्रा लागत के भुगतान के मौजूदा मानदेय को अपना सकते हैं और ऐसी अन्य सामाजिक पूंजी विशेष रूप से मूल्यांकन के लिए उपयोग की जा सकती है या निम्नलिखित दरों को अपनाने के लिए उपयोग की जाती है :

(I) **सीआरपी, छात्र, सहायक के लिए मानदेय :** प्रति व्यक्ति 200 रुपये प्रति दिन।

(ii) **सीआरपी, छात्र, सहायक के लिए स्थानीय यात्रा और खाद्य लागत :** प्रति व्यक्ति 100 रुपये प्रति दिन।

7. **निधि का स्रोत :** एसआरएलएम सीआरपी, जीआरएस, सर्वेक्षण, छात्रों और किसी भी अन्य ग्राम कार्यकर्ता की सेवाओं को भर्ती करने पर खर्च किये गये खर्चों को, जब तक कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से निधि जारी नहीं हो जाती तब तक अपने उपलब्ध अव्यतित राशि से पूरा कर सकते हैं।

8. **लागत निर्धारण :** लागत इस धारणा के आधार पर की जाती है कि :

- प्रति ग्राम पंचायत 5 गांवों को शामिल किया जाएगा।
- यह अनुमान लगाया गया है कि दो व्यक्तियों की टीम प्रति दिन कम से कम 2-3 गांवों और दो दिनों में एक ग्राम पंचायत से जानकारी को एकत्र कर सकती है।
- प्रशिक्षण की अवधि 2 दिनों की होगी।
- स्थानीय यात्रा आवश्यकता का खर्च न्यूनतम रहेगा।

● प्रस्तुति : विजय देशमुख

जीपीडीपी के लिए विशेष ग्रामसभा संचालन हेतु मॉडल समय सारिणी
सबकी योजना सबका विकास

बैठक की तिथि :.........................
बैठक स्थल : ....

ग्राम पंचायत :.......................... एलजीडी कोड :.......................

ब्लॉक/तालुका :...................... जिला :............................... राज्य :..................................

- बैठक का एजेंडा : जन योजना अभियान (जीपीडीपी)
- बैठक के लिए सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मियों की उपस्थिति
- ग्राम सभा संचालित करने का प्रारूप

i. ग्राम पंचायत के सरपंच प्रधान ग्राम सभा/की बैठक के उद्देश्य के बारे में जानकारी देंगे।

ii. ग्राम पंचायत सचिव जीपीडीपी के दृष्टिकोण विजन/के बारे में चर्चा करेंगे।

iii. सुविधा प्रदाताओं द्वारा मिशन अंत्योदय के तहत एकत्रित रैंकिंग पैरामीटर और डेटा प्रस्तुत और सत्यापन।

iv. ग्राम सभा से पहले गरीबी से संबंधित मुद्दों और गरीबी में कमी की योजनाओं के बारे में स्वयं सहायता समूह गांव संगठन एक प्रस्तुति/देंगे।

v. ग्राम सभा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण से उभरे अंतरालों और तीन वर्गों में प्राथमिकताओं को तीन श्रेणियों- गंभीर रूप से महत्वपूर्ण, उच्च प्राथमिकता और वांछनीय में वर्गीकृत करने के लिए चर्चा। (पंचायत सचिव द्वारा)

vi. संबंधित विभागों से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243-छ के अनुसार अनुसूची xi में सूचीबद्ध 29 विषय, जो पंचायतों को सौंपे जाने हैं, पर प्रस्तुति।

vii. वर्तमान वर्ष की गतिविधियां और निधि उपयोग की समीक्षा।

viii. वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा।

ix. ग्राम सभा अंतराल के कारणों पर चर्चा कर सकती है, और हस्तक्षेप का प्रस्ताव दे सकती है।

x. पहचान किए गए अंतरालों के आधार पर, जीपीडीपी में गतिविधियों को शामिल करने के लिए ग्राम सभा, संपत्ति अर्जन, संपत्ति रखरखाव, कम लागत/कोई लागत नहीं (उदाहरण के लिए, 100 प्रतिशत टीकाकरण के लिए सामुदायिक आंदोलन, स्कूल छोड़ने, ओडीएफ/ओडीएफ प्लस, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक मुद्दों आदि पर जागरूकता) जैसी गतिविधियों को प्राथमिकता दे सकती है।

xi. ग्राम पंचायत जीपीडीपी के तहत गतिविधियों को शामिल करने को अंतिम रूप देगी।

xii. जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवेज प्रबंधन, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तफान से जल भराव की निकासी, सामुदायिक संपत्तियों, सड़कों, फुटपाथ, पथ-प्रकाश व्यवस्था, कब्रिस्तान और श्मशान भूमि आदि का रखरखाव सहित बुनियादी नागरिक सेवाओं के वितरण से संबंधित गतिविधियों पर केवल एफएफसी आवंटन से योजना बनाई जाएगी।

xiii. ग्राम सभा विकास गतिविधियों की प्राथमिकता सूची पर एक प्रस्ताव पारित करेगी। संकल्प/प्रस्ताव ग्राम सभा के सामने पढ़ा जाना चाहिए और तदनुसार दर्ज किया जाना चाहिए।

xiv. जन योजना अभियान पोर्टल पर ग्राम सभा के जि-टैग किए गए फोटो अपलोड किए जाएंगे।

xv. लोक सूचना पट्ट के जियोटैग की गई तस्वीर जन योजना अभियान पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

ग्रामसभा के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं/संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुति की मॉडल संरचना (29 विभाग)

विभाग के एक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता द्वारा प्रस्तुति के लिए संकेतक चर्चा बिंदु :

1. संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी उस विभाग से संबंधित योजनाओं का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करेंगे जिसमें योजना के तहत अर्जित पात्रता मानदंड, हकदारिता और लाभ शामिल हैं ग्राम पंचायत की भूमिका और जीपीडीपी में निगमन का संकेत।

क्रम संख्या	योजना का नाम	योजना के तहत अनुमेय गतिविधियां	लाभार्थी चयन के लिए योग्यता मानदंड	योजना के लाभ हकदारिता/

2. वर्तमान वित्त वर्ष (2018-2019) में की गई गतिविधियां और समय सीमा के साथ अब तक की प्रगति।

क्रम संख्या	गतिविधि का नाम	लाभार्थियों की सूची	गतिविधि वार स्थिति रिपोर्ट						
			प्रगति की स्थिति			समय सीमा		उपयोग की गई निधि की स्थिति	
			पूरी की गई गतिविधि	प्रगति पर	शुरू नहीं हुई	योजनाबद्ध समय सीमा	वास्तविक समय सीमा	आवंटित निधि	उपयोग की गई निधि

3. अगले वित्त वर्ष (2019-2020) में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां

क्रम संख्या	चल रही गतिविधियों को जारी रखना	नई गतिविधियां शुरू की जानी चाहिए	प्रस्तावित कार्य योजना

4. इस जानकारी की प्रतिलिपि ग्राम सभा के दौरान संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता द्वारा पंचायत सचिव को सौंपी जानी है।

ग्राम संगठनों/स्वयं सहायता समूहों द्वारा वर्ष 2019-2020 के लिए गरीबी उन्मूलन योजना की प्रस्तुति का प्रारूप

(सभी सदस्यों के परामर्श से प्राथमिक स्तर एसएचजी फेडरेशन/एसएचजी द्वारा तैयार करने और ग्राम सभा में प्रस्तुत करने के लिए)

1. मूल सूचना :

i. जिले का नाम :
ii. ब्लॉक का नाम :
iii. ग्राम पंचायत (जीपी) का नाम/ग्राम परिषद् (वीसी)
iv. नाम/वार्ड संख्या (पंचायत का चुनाव क्षेत्र) :
v. गांव की बस्ती का नाम :
vi. प्राथमिक स्तर के एसएचजी फेडरेशन का नाम (पीएलएफ) :
vii. प्राथमिक स्तर के फेडरेशन में एसएचजी की संख्या :
viii. सीएलएफ/एसएलएफ में ग्राम संगठनों (वीओ)/पीएलएफ की संख्या :
ix. सीएफ/एसएलएफ में ग्राम संगठनों (वीओ)/पीएलएफ पदाधिकारियों की संपर्क संख्या :

2. एसएचजी समूहों की वर्तमान स्थिति एवं वर्ष 2019-2020 के लिए योजना

वर्तमान स्थिति		संख्या	वर्ष के लिए योजना 2019-20		संख्या
क	वीओपीएलएफ के कार्यक्षेत्र में/ एचएच की संख्या		च	एसएचजी के अंतर्गत लाए जाने वाले एचएच की संख्या	
ख	एसएसजी में कवर एचएच की संख्या		छ	एसएचजी की कुल संख्या जिन्हें आरएफ प्रदान की जाएगी	
ग	मौजूदा कुल एसएचजी की संख्या		ज	एसएचजी की कुल संख्या जो बैंक से कर्ज लेंगे	
घ	आरएफ प्राप्त कुल एसएचजी की संख्या				
ड.	कर्ज तक पहुंच वाले एसएचजी				

3. अधिकारिता योजना :

अधिकारिता का प्रकार	लाभ चाहने वाले पात्र सदस्यों के नाम	एसएचजी का नाम (तभी लागू होगा जब सदस्य एसएचजी में हो)
क. वृद्धावस्था पेंशन		
ख. विधवा पेंशन		
ग. दिव्यांग पेंशन		
घ. अनन्य पेंशन		
ड. मनरेगा जॉब कार्ड		
च. आधार कार्ड		
छ. उज्ज्वला (पीएमयूवाई)		

4. आजीविका योजना :

इस प्रकार की गतिविधि के तहत आजीविका गतिविधियों को, कृपया स्पष्ट रूप से इंगित करें जैसे : 1. भूमि विकास, 2. कृषि, 3. बागवानी, 4. पशुपालन डेयरी, (बकरी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, कुक्कुट, बतख पालन आदि), 5. मत्स्य पालन, 6. वानिकी, 7. हस्तशिल्प, 8. लघु सिंचाई, 9. कुटीर उद्योग, 10. लघु उद्योग आदि और जिस प्रकार के समर्थन की आवश्यकता हो जैसे कि उर्वरक, बीज इनपुट, उपकरण, उपकरण बाजार सुविधा, बोर वेल, कूलिंग प्लांट्स, गोदामों, सुखाने के प्लेटफॉर्म, मछली पकड़ने के जाल, सीएससी, पौधे आदि।

क्र.सं.	एसएचजी सदस्य का नाम	एसएचजी का नाम	गतिविधि का प्रकार	व्यक्तिगत/समूह गतिविधि	किस प्रकार के समर्थन की आवश्यकता है

5. व्यक्तिगत संरचनात्मक योजना :

क्र.सं.	कार्य का नाम	विवरण	एसएचजी सदस्य का नाम	एसएचजी का नाम
1.	पशुशाला			
2.	कुक्कुट शेड (बाड़ा)			
3.	एनएडीईपी पिट			
4.	व्यक्तिगत शौचालय			
5.	बिजली			

6. सार्वजनिक वस्तु एवं सेवा योजना :

क्र. सं.	कार्य का नाम	विवरण	क्र.सं.	संस्थान का नाम	किस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है
i.	सड़क निर्माण		xv.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	
ii.	पेयजल की सुविधा		xvi.	एडब्ल्यूसी	
iii.	सिंचाई हेतु नहर का निर्माण		xvii.	स्वास्थ्य-टीकाकरण दवा, सांगठनिक वितरण सुविधा, कृमि निवारण, मच्छरदानी आदि	
iv.	स्कूल (पंजीकरण शिक्षक, मिड डे मील, वर्दी, किताब आदि)		xviii.	पशु चिकित्सा सेवा (टीकाकरण और कृमि निवारण)	

v.	मार्केट शेड/विपणन सुविधा				
vi.	सामुदायिक शौचालय				
vii.	सामुदायिक कार्य शेड				
viii.	जल निकासी				
ix.	सीवर				
x.	पथ प्रकाश				
xi.	सामुदायिक भवन/ परिसंपत्ति				
xii.	बिजली				
xiii.	परिवहन सुविधा				
xiv.	स्कूल/एडब्ल्यूसी भवन				

नोट : ऊपर वर्णित गतिविधियां सांकेतिक हैं और सभी क्षेत्रों के लिए लागू नहीं हो सकती हैं। स्थानीय संदर्भ के अनुसार स्थानीय स्तर पर गतिविधियों की पहचान की जानी चाहिए और ग्राम सभा में पेश करने से पहले प्राथमिकता को अपने स्तर पर भी तय किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्राथमिक स्तर परिसंघ (वीओ) को ग्राम सभा से पहले सभी एसएचजी सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से अपने सभी सदस्य परिवारों के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए। ग्राम सभा बैठक के दौरान संबंधित एसएचजी संघों को इस गरीबी उन्मूलन योजना को प्रस्तुत करना चाहिए और ग्राम सभा में प्रत्येक गतिविधि की प्राथमिकता के बाद जीपीडीपी में इसे शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए।

जीपीडीपी के कार्यान्वयन के मुद्दे

- **जीपीडीपी के लिए जागरूकता सृजन और सहभागितापूर्ण आयोजना की कमी।**
- **वित्तीय संसाधन एनवेलप के लिए कोई चिंता नहीं।**
- **जीपीडीपी तैयारी के लिए ग्राम पंचायत को तकनीकी सहायता की कमी।**
- **जीपीडीपी और वास्तव में शुरू किए गए कार्यों के बीच कोई संबंध नहीं है।**
- **कृषि, डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, पशुपालन, कौशल विकास इत्यादि जैसे प्रमुख क्षेत्रों की कम भागीदारी।**
- **विभाग अलग-अलग (एक साथ नहीं) कार्य कर रहे हैं।**
- **ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर जीपीडीपी की समीक्षा नहीं होती।**
- **जीपीडीपी अपलोड नहीं किया गया या आर्थिक रूप से अपलोड किया गया।**

ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए मॉडल प्रारूप

अध्याय	विवरण	अध्याय के विषय
अध्याय-1	ग्राम पंचायत की स्थिति	**1. ग्राम पंचायत का प्रोफाइल -** मूल सूचना जनसांख्यिकीय सूचना, सामाजिक-आर्थिक मानक, आजीविका डेटा, प्राकृतिक संसाधन, ग्राम संस्थान आदि, निर्वाचित प्रतिनिधियों का विवरण **2. स्थायी समितियों की सूची** जीपीपीएफटी, डब्ल्यूपीएफटी, ग्राम पंचायत कार्यालय में जीपीडीपी के प्रभारी कार्यकर्ताओं के विकेंद्रीकृत योजना की तैयारी, नाम और पदनामों से संबंधित कार्यकारी समूहों की सूची, अन्य सरकारी कार्यकर्ता, सहायक कर्मचारी के नाम जो जीपीडीपी का हिस्सा हैं। **3. विजन का विवरण**
अध्याय-2	गत वर्ष पूरे किए गए कार्य और चल रहे कार्य	पिछले वित्तीय वर्ष की प्रगति रिपोर्ट
अध्याय-3	सहभागितापूर्ण आयोजना की प्रक्रिया और विकासात्मक अंतराल/कमी	पर्यावरण सृजन, डेटा संग्रह और संकलन (प्राथमिक और माध्यमिक), स्थिति और अंतराल विश्लेषण, समस्या-स्रोत-संभावित विश्लेषण, स्थिति, रिपोर्ट का विकास (डीएसआर)
अध्याय-4	एसडीजी के स्थानीयकरण सहित ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित लक्ष्य	**कुछ उदाहरण** खुले में शौचालय मुक्त, ग्राम पंचायत के सभी घरों में सुरक्षित पेयजल, अभाव मुक्त ग्राम पंचायत, बाल श्रम मुक्त ग्राम पंचायत, तस्करी मुक्त ग्राम पंचायत, 100% आंगनवाड़ी नामांकित ग्राम पंचायत, 100% स्कूल नामांकित ग्राम पंचायत, टीकाकरण के माध्यम से 100% बच्चे और मां को कवर किया गया ग्राम पंचायत कुपोषण मुक्त ग्राम पंचायत, शिशु मृत्यु ग्राम पंचायत।
अध्याय-5	संसाधन संचिका (एनवेलप) और गतिविधियां (योजना एवं सेक्टवेयर)	विभिन्न स्रोतों से ग्राम पंचायत को धन की उपलब्धता, उदाहरण के लिए 14वें वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग द्वारा हस्तांतरण, ग्राम पंचायत के स्वयं संसाधन, एमजीएनआरईजीएस, ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित अन्य सीएसएस, राज्य योजना योजनाओं के लिए अनुदान, बाहरी रूप से समर्पित योजनाओं के लिए अनुदान, समुदायों और अन्य हितधारकों द्वारा स्वैच्छिक योगदान स्थिति और अंतराल विश्लेषण के आधार पर, गतिविधियों की पहचान की जा सकती है जैसे कि पंचायत के संभावित उपलब्ध संसाधन और केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत उपलब्ध संसाधन।
अध्याय-6	वार्षिक योजना और संभावित योजना के साथ गतिविधियों की प्राथमिकता	गतिविधियों के विवरण के साथ पांच साल और वार्षिक योजनाओं के लिए परिप्रेक्ष्य योजना
अध्याय-7	कार्यान्वयन रणनीति	कार्यान्वयन की प्रक्रिया
अध्याय-8	निगरानी और मूल्यांकन	निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया
	अनुबंध	जनगणना, एसईसीसी और मिशन अंत्योदय से महत्वपूर्ण आधारभूत डेटा। ग्राम सभा बैठकों के कार्यवृत्त, कार्यकारी समूहों की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत की/योजना को मंजूरी देने/अनुमोदित संकल्प, फोटो।

ग्राम पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता क्यों

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। इसी को ध्यान में रख कर संविधान में 73वां संशोधन किया गया। संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों के स्वरूप और उनकी कार्यप्रणाली में बदलाव आए हैं।

विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया में जन सहभागिता तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया, क्रियान्वयन तथा निगरानी का दायित्व भी पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया है। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आवश्यक है कि विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया अपनाते हुए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके।

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ग्राम पंचायतों के बढ़े हुए दायित्वों एवं धनराशि के हस्तान्तरण के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों को वार्षिक एवं दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर रणनीति निर्धारित करते हुए कार्य करना चाहिए, ताकि संविधान के अनुच्छेद 243-जी में उल्लेखित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित हो सके। संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 15 "क" में भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रति वर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है।

क्या है ग्राम पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायतों की विकास योजना एक सहभागी योजना है, जिसमें पंचायतें सभी समुदायों के साथ विशेषकर सीमान्त एवं वंचित वर्ग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, मानसिक रूप से कमजोर ट्रांसजेंडर तथा ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं को चिन्हित करते हुए अपने विकास के लिए योजना का निर्माण करेंगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना से न केवल ग्राम का समग्र विकास सुनिश्चित होगा, अपितु सक्रिय जन भागीदारी से गरीब व उपेक्षितों सहित समस्त वर्गों का विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

ग्राम पंचायत, विकास योजना के माध्यम से स्थानीय मुद्दों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जेंडर-न्याय आदि से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम हो सकेंगी। इसमें सिर्फ सरकारी सहयोग ही नहीं बल्कि सहकारी समितियां, वित्तीय स्वशासी संस्थाएं, समुदाय की निजी पूंजी और पंचायतों द्वारा स्वयं की अर्जित आय का भी योगदान लिया जा सकता है।

पंचायती राज व्यवस्था

पंचायत क्या है?

सामान्य बोलचाल की भाषा में "पंचायत" का आशय पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह से है। "पंचायत एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की समस्या का संविधान के दायरे में रहकर निदान करने का प्रयास करती है। अलग-अलग समय अंतरालों में इसके स्वरूप में परिवर्तन होते रहे हैं। कभी जातीय पंचायत, कभी सामाजिक मामलों में मध्यस्थता करने वाली पंचायत अथवा कभी ग्रामों की स्वराज्य में अपना योगदान करने वाली संस्था के रूप में इसकी पहचान रही है। इसका गठन औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर किसी प्रयोजन के लिए स्थायी अथवा अस्थाई रूप से किया जाता है। अब पंचायतें ग्रामीण प्रशासन तथा समग्र ग्रामीण विकास की पर्याय हैं। पंचायतों को पंचायती राज व्यवस्था के रूप में संबोधित किया जाता है। पंचायतें अब स्वशासन की एक पद्धति और इकाई

है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंचायत एक ऐसी इकाई है, जिसके माध्यम से स्थाई स्वराज्य शासन अर्थात स्थानीय लोगों का अपना शासन चलाया जाता है।

73वां संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि

पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण को लेकर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई समितियों का गठन किया गया, इसमें से लक्ष्मीमल सिंधवी समिति एवं पी.के. शुंगन समिति ने अपनी सिफारिश में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश की। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने संविधान में संशोधन के लिए पहल की। जिसके फलस्वरूप 73वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान के भाग-9 में पंचायत नाम से अनुच्छेद 243-क से लेकर ण तक 16 अनुच्छेद जोड़ें। यह संशोधन 22, 23 दिसम्बर, 1992 में क्रमशः लोक सभा एवं राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। सन् 1993 में 20 अप्रैल को राष्ट्रपति द्वारा इस संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई और 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देते हुए पूरे भारत में लागू कर दिया गया।

73वां संविधान संशोधन की विशेषता

ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन अनिवार्य होगा। ग्राम से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर यह निकाय गठित होगा। इस बात का निर्देश है कि राज्य के विधान मण्डल द्वारा कानून बनाकर ग्राम सभाओं को अधिकार प्रदान किए जाएंगे।

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाएं

- ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत
- विकासखण्ड के स्तर पर जनपद पंचायत
- जिले स्तर पर जिला पंचायत

पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य है। इस व्यवस्था को नियमित एवं निष्पक्ष तथा सुचारु रूप से संचालित करने के लिए एक संवैधानिक संस्था राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया है।

सभी स्तरों पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचन से होता है। जनसंख्या के आधार पर समान अनुपात के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाता है।

सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उस क्षेत्र में उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित रहती है।

महिलाओं के लिए भी सभी स्तरों की पंचायतों में कुल सीटों का पचास प्रतिशत भाग आरक्षित है। वह व्यवस्था सरपंच, प्रमुख, अध्यक्ष के पद हेतु भी है। संसाधनों की समुचित व्यवस्था हेतु वित्त आयोग का गठन तथा ऑडिट की समुचित व्यवस्था की गई।

ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक जन भागीदारी से योजना बनाने के लिए जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान इसी क्रम में 74वें संविधान संशोधन में किया गया है।

11वीं अनुसूची के माध्यम से विकास के 29 विभागों के कार्य पंचायतों के सुपुर्द किए गए।

सभी स्तर की पंचायतों के चुनाव में भाग लेने के लिए प्रत्याशियों की एक निश्चित आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित है।

इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ इस तरह के प्रावधान किए गए, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को एक निश्चित एवं अधिकार सम्पन्न स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में विकसित किया जा सके। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है।

समितियों का गठन, कार्य बैठक की प्रक्रिया एवं दायित्व

ग्राम पंचायत अपने कार्यों में सहायता करने के लिए 6 समितियों का गठन करती है। इन समितियों को ग्राम पंचायत आवश्यकतानुसार अपने सभी कार्यों या किन्हीं कार्यों को करने के लिए जिम्मेदारी सौंप सकती है।

● प्रफुल्ल जोशी
राज्य कार्यक्रम समन्वयक, आरजीएसए

क्र. सं.	समिति का नाम	समिति के काम	समिति का गठन
1.	नियोजन एवं विकास समिति	• ग्राम विकास की योजना बनाना। • कृषि, पशुपालन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना। • सभी समितियों के नियोजन निर्माण • विशेष आमंत्री (7 अधिकतम)। में भागीदारी करना। • यह समिति खुली बैठक में लाभार्थियों का सही चयन सुनिश्चित करेगी।	• इस समिति का सभापति सरपंच होता है। • 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति महिला और पिछड़े वर्ग के एक सदस्य का अवश्य होगा)। • विशेष आमंत्रित (7 अधिकतम)।
2.	शिक्षा समिति	• प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। • समिति पढ़ाई के स्तर की जांच करे एवं सुनिश्चित करे कि छात्रवृत्ति का सही बंटवारा हो। • प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए ढांचागत सुविधाएं जैसे : भवन, जल, किताबें, शौचालय को प्रदान करने हेतु योजना तैयार करें एवं ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत करें। • यदि स्कूल संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो इसकी लिखित रूप में शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी या सहायक से की जा सकती है। • पंचायत में गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा हेतु वातावरण का निर्माण करना। • उचित वातावरण निर्माण हेतु विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच समन्वय स्थापित करना।	• इस समिति का सभापति सरपंच होता है। • 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति/ जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा)। • विशेष आमंत्रित (7 अधिकतम)।
3.	निर्माण कार्य समिति	• गांव में पंचायत द्वारा कराये जा रहे सभी निर्माण काम इस समिति की देखरेख में किये जायेंगे।	• इस समिति का सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य होता है। • 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा)। • विशेष आमंत्रित (7 अधिकतम)।

क्र. सं.	समिति का नाम	समिति के काम	समिति का गठन
4.	स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	• बच्चों एवं माताओं के टीकाकरण हेतु व्यवस्था करना। • स्वास्थ्यकर्मी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ समन्वय स्थापित करना। • बीमारियों की जानकारी एवं कारण पता करना। • साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारी करना। • महिला एवं कल्याण योजनाएं क्रियान्वित करना। • पुष्टाहार पर नजर रखना एवं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना। • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • कोई महामारी फेल रही है तो उस परिस्थिति से निपटने की तैयारी करना। • स्वास्थ्य संबंधी नियोजन करना।	• इस समिति का सभापति ग्राम-पंचायत द्वारा नामित • 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा)। • विशेष आमंत्रित (7 अधिकतम)।
5.	प्रशासनिक समिति	• राशन की दुकान से सही वितरण पर नजर रखेगी। • ग्राम पंचायत को स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों की निगरानी करना। • गांव में व्यवस्था बनाये रखना। • हाट, बाजार व मेला पर टैक्स लगाना	• इस समिति का सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य होता है। • 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा)। • विशेष आमंत्रित (7 अधिकतम)।
6.	जल प्रबन्धन समिति	• शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना। • पुराने हैण्डपंप का रखरखाव • लघु सिंचाई की व्यवस्था करना। • जल निकास की व्यवसथा करना। • जल स्रोतों की सूची तैयार करना व उनके बेहतर प्रबंधन हेतु पंचायतों को सुझाव देना। • जल से संबंधित समस्याओं के लिए नियोजन करना।	• ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य-सभापति/अध्यक्ष। • 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा)। • विशेष आमंत्रित (7 अधिकतम)।

ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रमुख घटक एवं चरण

ग्राम पंचायत विकास योजना ग्रामीण समाज के लिए, समाज की भागीदारी से उनके समग्र विकास के लिए तैयार की जाती है। इस योजना के निर्माण में प्रमुख घटक मानव विकास एवं सामाजिक विकास, ढांचागत विकास, पर्यावरणीय मुद्दे एवं आपदा प्रबंधन, आर्थिक विकास सहित आय एवं रोजगार के साधन, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक मुद्दे (व्यवहारिक पहलू) और सुशासन एवं समावेशन शामिल है। सबसे पहले योजना निर्माण के घटकों के आधार पर समस्याओं को विषयों से जोड़कर उन्हें संवेदित करें जिससे कि योजना बनाते समय इन विषयों को प्राथमिकता से शामिल कर सकें। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाते समय उसके प्रत्येक चरण पर चर्चा करना आवश्यक है जिससे पूरी योजना की प्रक्रिया पर समझ विकसित हो सकेगी।

राष्ट्रीय और राज्य के दिशा-निर्देश के अनुसार योजना निर्माण के लगभग 10 चरण प्रस्तावित हैं, जिसमें तीन बार ग्राम सभा की बैठक तथा दो ग्राम पंचायत की बैठक का उल्लेख है। परन्तु योजना निर्माण की प्रक्रिया और समझ के लिए मुख्यत: 5 चरण उल्लेखित हैं। 1. वातावरण निर्माण (ग्राम सभा का आयोजन कर), 2. पारिस्थितिकीय विश्लेषण, 3. आवश्यकताओं तथा समस्याओं की पहचान और प्राथमिकताओं का निर्धारण (ग्राम सभा का आयोजन कर), 4. ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण तथा ड्राफ्ट का विकास, 5. तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति (ग्राम सभा का आयोजन कर)। इस तरह ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए मुख्यत: पांच चरण और पांच प्रमुख घटक होंगे। इन पांच घटकों में 1. उद्देश्य, 2. समय-सीमा, 3. सबकी भागीदारी, 4. पारदर्शी और 5. समावेशी समाहित है।

पहला चरण वातावरण निर्माण

- ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर की जाने वाली गतिविधि के द्वारा वातावरण निर्माण पर समझ विकसित होना आवश्यक है।

वातावरण निर्माण के पहले टास्क फोर्स प्रशिक्षण के बाद सरपंच सहित ग्राम पंचायत तथा सभी विभागों के पंचायत कर्मियों के साथ बैठक करके पूरी प्रक्रिया को साझा करें तथा ग्राम सभा की बैठक बुलाकर वातावरण निर्माण हेतु प्रक्रिया की शुरुआत करें।

सबसे पहले आपस में चर्चा कर यह सुनिश्चित कर लें कि कौन-कौन सी और किन-किन गतिविधियों द्वारा योजना निर्माण की प्रक्रिया में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इसके साथ ही संभावित योजना निर्माण की गतिविधियों पर चर्चा भी करें।

ग्राम स्तर पर वातावरण निर्माण के उद्देश्य

ग्राम सभा के सभी सदस्यों तक ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) निर्माण की सूचना पहुँचाना जिसके कि-

- नियोजन की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
- निर्णय लेने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।
- समुदाय के सभी वर्गों विशेषत: वंचित वर्ग तथा (अनुसूचित जाति, जनजााति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, महिला, पुरुष) की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।
- समस्या ग्रस्त व्यक्ति तथा समुदाय समाधान को समझ सकेंगे।

उपयुक्त वातावरण निर्माण के लाभ

- योजना निर्माण की पूरी प्रक्रिया में समुदाय की सक्रिय भागीदारी से सही नियोजन की संभावनाएं बढ़ती हैं।
- स्थानीय लोगों विशेषकर वंचित समुदाय के दृष्टिकोण से समस्याओं और समाधानों के अधिक विकल्प सामने आने की संभावना बढ़ जाती है।
- योजना निर्माण के आगे के चरण आसान हो जाते हैं।
- समुदाय में ग्राम पंचायत विकास योजना की पूरी प्रक्रिया के प्रति स्वामित्व का भाव जागृत होता है।
- पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के अलावा समुदाय के युवा, वंचित वर्ग, महिला, विकलांग, समुदाय आधारित संगठन, हाशिए पर खड़े व्यक्ति तथा धार्मिक प्रतिनिधि भी महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते हैं।
- समुदाय की यह समझ विकसित होती है कि सिर्फ सरकार या ग्राम पंचायत हर समस्या का समाधान नहीं कर सकती, बल्कि विकास में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान तथा भागीदारी आवश्यक है।
- व्यक्ति तथा समुदाय यह समझता है कि कई समस्याएं उनके अपने दृष्टिकोण तथा व्यवहार के कारण हैं और अपने दृष्टिकोण तथा व्यवहार को बदल कर उस समस्या को खत्म किया जा सकता है, उदाहरणत: भ्रूण हत्या, मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु, कुपोषण, बाल-विवाह, बाल श्रम, घरेलू हिंसा आदि।

● प्रस्तुति : रीमा राय

दूसरा चरण पारिस्थितिकीय विश्लेषण

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिये इस चरण में पारिस्थितिकीय विश्लेषण किया जाता है। इसके तहत जिन प्रमुख विषयों तथा प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। उनमें शामिल है-

- पी.आर.ए. टूल्स का प्रयोग
- सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण
- ग्राम भ्रमण
- समूह चर्चा
- सर्वे

क्या करें- इसमें शामिल लोगों अथवा प्रतिभागियों को चार समूह में बांटा जाए जिसमें एक-एक विषय पर समूह चर्चा कराकर प्रस्तुतिकरण किया जाए उसके बाद उसे समेकित करते हुए इन पद्धतियों पर समझ विकसित करें।

आपस में चर्चा करें कि गांव की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कहां-कहां से सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं और ये सूचनायें क्यों जरूरी हैं। सूचनायें दो तरह से प्राप्त की जा सकती हैं। द्वितीयक स्रोत यानि कि विभिन्न विभागों जो ग्राम पंचायतों में काम करने के साथ उपलब्ध सूचनाएं जैसे आंगनवाड़ी, आशा एवं ए.एन.एम. के पास सूचनाएं होती हैं। दूसरा वो जिसे हम पी.आ.ए. टूल्स के माध्यम से संगृहीत करते हैं।

हाउस होल्ड सर्वे

हाउस होल्ड सर्वे में पंचायत के निवासियों से जुड़ी सामान्य जानकारियों के अलावा वहां निवासरत निराश्रित, विकलांग, विधवा, आपदा में पालायन करने वाले तथा पलायित परिवार तथा कुपोषित बच्चों तथा बुजुर्गों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां सामने आती हैं।

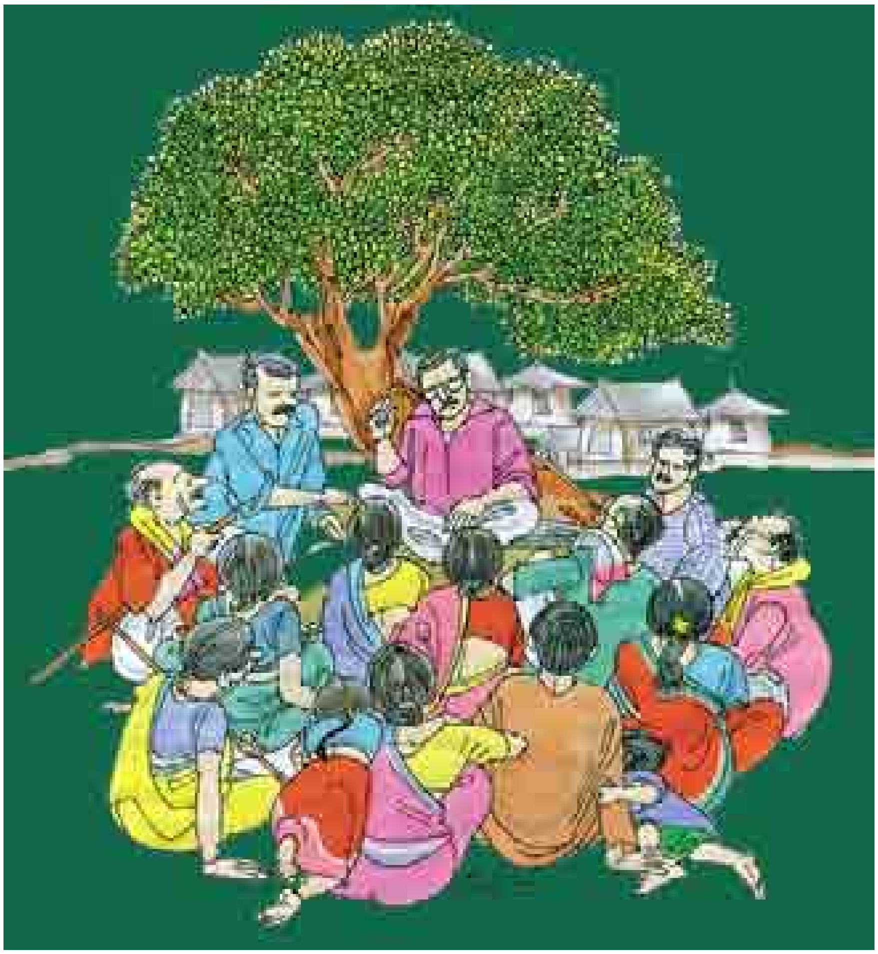

ध्यान रखने वाली बातें

- किसी भी सर्वे में आवश्यकता अनुसार जानकारी ली जानी चाहिए।
- प्रारूप में पूछे जाने वाले प्रश्न प्रयोजन आधारित होना चाहिए। जो समुदाय में हस्ताक्षेप में सहायक हों।
- जानकारियों को आंकड़ों के रूप में एकत्र करें। जिससे उनका संधारण सम्भव हो तथा विश्लेषण सरलता से किया जा सके।
- सर्वे के प्रारम्भ और समापन की समयावधि पूर्व निर्धारित हो और तय समय-सीमा में कार्य पूरा किया जाए।
- समुदाय से सीधे प्राप्त होने वाले ये आंकड़े "प्राथमिक आंकड़े" हैं।
- चयनित वार्ड सदस्य/स्व-सहायता समूह/समुदाय के स्वयं सेवी युवा समूह इस कार्य में सहभागी हो सकते हैं।
- संसाधनों की कमी के कारण ग्राम पंचायत के सभी मंजरों में जाकर आंकड़े एकत्र करना कठिन है तो नमूने के तौर पर सभी मजरों के कुछ परिवारों से आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं।

संसाधन मानचित्रण

रिसोर्स मैपिंग क्यों आवश्यक है

- गांव में प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, मिट्टी, पानी, जंगल, नदी, झरना, पहाड़, खलिहान, नालाबंदी, मेड़ बंदी आदि की पहचान के लिए।
- जल स्रोत तथा बाढ़ एवं जल निकासी की दिशा की जानकारी के लिए।
- गांव की सार्वजनिक भू-सम्पत्ति व साधन, स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, आंगनवाड़ी भवन, पंचायत भवन की भौगोलिक स्थिति के मानचित्र के लिए।
- प्रकृति या मानव निर्मित संसाधनों की भौगोलिक स्थिति के मानचित्र के लिए।
- जीविकोपार्जन के साधन जैसे फसल,

पशु पालन, मछली, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, बाग-बगीचा, रेशम, कुक्कुट, मधुमक्खी पालन आदि व्यवसायों के चिन्हीकरण के लिए।

ध्यान रखें

- नक्शे के उद्देश्यों पर स्पष्टता से विचार-विमर्श हो जिससे समुदाय में शंका का भाव समाप्त हो जाये।
- गांव में उपलब्ध राजस्व नक्शे, कन्टूर के नक्शे, हवाई फोटोग्राफ्स (जो उपलब्ध हों) को भी देखें।
- मौजूदा सूचनादाताओं की संख्या और प्रतिनिधित्व में उनके सही अनुपात को गांव में उपलब्ध संसाधनों की चेकलिस्ट सूचनादाताओं के सहयोग से तैयार करें। संसाधन चित्रण के दौरान इस सूची के आधार पर उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करवाएं।
- संसाधन चित्रण की प्रक्रिया के दौरान विवादास्पद संसाधनों के बारे में ज्यादा खोज-बीन न करें।

मानचित्र प्रारम्भ करने से पूर्व की गतिविधियां

तारीख, समय और स्थान का निर्धारण।
समुदाय के हितग्राहियों की सूचना देना।
मानचित्रण के लिए चाक, रंगीन पाउडर, सामग्री की व्यवस्था करना।

मानचित्रण प्रक्रिया के दौरान की गतिविधियां

- समुदाय को प्रोत्साहित करना।
- समुदाय को प्रेरित करके सबसे पहले गांव की सीमाएं बनाना।
- सीमाएं बनाने के बाद विभिन्न अधोसंरचनाओं जैसे सड़क, पुल, विद्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्र और पूजा स्थल आदि को नक्शे में उकेरना।
- बसाहट के प्रकार जैसे घरों की बसाहट, घर का प्रकार (कच्चा, पक्का, झोपड़) को नक्शे में उकेरना।
- अन्य सामाजिक संस्थान को, जैसा समुदाय द्वारा बताया जाए।

सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण पूर्ण करने के बाद की गतिविधियां

- समुदाय की आवश्यकताओं और मांगों की पहचान करना।
- समुदाय की सहायता से आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं तय करना।

ग्राम भ्रमण क्यों आवश्यक

संसाधन मानचित्रण में हमें प्रायः संख्यात्मक जानकारियां प्राप्त होती हैं लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति, गुणवत्ता और उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रायः बहुत कम जानकारियां प्राप्त होती हैं।

ग्रामीणों के समूहों के साथ ग्राम भ्रमण के दौरान हमें प्रत्यक्ष रूप से गांव वालों के नजरिये से सभी संसाधनों और उनके आस-पास के परिवेश को देखने और अनुभूत करने का मौका मिलता है।

ग्राम भ्रमण से हमें एक अन्तर्दृष्टि प्राप्त होती है। ग्राम भ्रमण में ग्रामीणों के समूहों के साथ गांव की एक दिशा से दूसरी दिशा तक भ्रमण किया जाता है।

समूह से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संसाधनों और स्थितियों का निरीक्षण करना, उन संसाधनों और स्थितियों के बारे में ध्यानपूर्वक सुनना, विचार-विमर्श करना और उसको एक नक्शे के रूप में प्रस्तुत करना ग्राम भ्रमण का उद्देश्य होता है।

भ्रमण के दौरान स्थान विशेष की परिस्थिति, उपयोग संबंधी समस्याओं और उनके निराकरण के लिए किए गए प्रयासों तथा भविष्य में किए जा सकने वाले प्रयासों की चर्चा करते हैं।

ग्राम भ्रमण की प्रक्रिया

भ्रमण में सहभागी के रूप में साथ आने वाले ग्रामीणों का चयन किया जाता है, फिर गांव के मानचित्र से भ्रमण मार्ग का निर्धारण करते हैं। भ्रमण में शामिल स्थानीय लोगों के सहयोग से स्थान विशेष पर उपस्थित लोगों को बातचीत में शामिल करते हैं। यह बातचीत, स्थानीय लोगों के साथ एक छोटी मीटिंग का रूप ले सकती है।

प्राप्त जानकारियों को सारणी के रूप में लिपिबद्ध करना है। (क्षेत्र सम्बन्धी विशेषताओं को दिखाने हेतु चित्रों का उपयोग भी किया जा सकता है।)

ग्राम भ्रमण के लाभ

- ग्राम पंचायत में परिसम्पत्तियों के निर्माण और सुधार की जरूरतों का पता लगता है।
- उपलब्ध संरचनात्मक ढांचे को जांचने और उसके सुधार की जरूरतों का पता लगता है।

योजना निर्माण का तीसरा चरण

आवश्यकताओं, समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिये आवश्यक है कि स्थानीय आवश्यकताओं, समस्याओं को पहचाने, तभी उन्हें योजना में शामिल किया जा सकता है और समस्या को हल किया जाना संभव है। योजना निर्माण के तीसरे चरण में गांव की आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान के लिये समझ विकसित की जाती है। इस चरण में समस्याओं की प्राथमिकता का निर्धारण किन आधारों पर किया जाए इस पर भी समझ विकसित की जाती है।

क्या करें

सबसे पहले पारिस्थितिकीय विश्लेषण के बाद निकली समस्याओं की सूची बनाएं फिर पेअर मैट्रिक्स आदि विधियों के प्रयोग द्वारा प्राथमिकता का निर्धारण करें।

ग्राम पंचायत की पारिस्थितिकीय विश्लेषण के लिए विभिन्न टूल्स का प्रयोग करें इन टूल्स के प्रयोग से जो भी समस्याएं निकल कर आयें, उन्हें एक फार्मेट पर समेकित कर लिखें। जिससे कि गांव की पूरी समस्याओं को एक जगह लाकर आगे की प्रक्रिया अर्थात प्राथमिकता का निर्धारण किया जा सके। हम सभी यह जानते हैं कि जितनी भी समस्याएं पारिस्थितिकीय विश्लेषण से निकल कर आई हैं, उनको एक वर्ष में पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप निर्णय लेना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि जरूरी विषयों को ही पहले साल में लें। अतः उपलब्ध बजट के अनुसार ही आपको समस्याओं में से प्राथमिकता को निकालना होगा इसको निकालने के लिए दो तरीके अपनाने होंगे।

प्राथमिकता का चयन कैसे करें।

Participatory Rural Appraisal (PRA) टूल्स के माध्यम से गांव की पारिस्थितिकी विश्लेषण के फलस्वरूप अलग-अलग क्षेत्र की समस्याएं लिखें ताकि प्राथमिकता निर्धारित की जा सके।

प्रारूप पर आये विषयों को प्राथमिकता का निर्धारण करने हेतु सबसे पहले यह देखें कि-

- ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित समाहित हो।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हित में हो।
- महिलाओं और बच्चों के हित में हो।
- समस्या गंभीर प्रकृति की हो।
- बजट की उपलब्धता हो।
- जो स्थानीय स्तर पर समुदाय की जरूरत हो।

कम लागत अथवा बिना लागत के कार्यों की सूची

- सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, आयरन गोली का सेवन, टी.टी. के टीके लगना और सारी आवश्यक गर्भ

प्राथमिकता निर्धारण का दूसरा तरीका है पेअर मैट्रिक्स। जिसे प्राथमिकता निर्धारण के लिए छोटे समूह में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे परिकल्पना कीजिए कि ग्राम पंचायत में पांच समस्याएं निकल कर आई। जैसेः स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सफाई नाली निर्माण। अब इन पांच विषयों में प्राथमिकता तय करनी है, तो पेअर मैट्रिक्स से आसानी से किया जा सकता है।

विषय	1 स्वास्थ्य	2 शिक्षा	3 पेयजल	4 सफाई	5 नाली निर्माण
1. स्वास्थ्य		1	1	1	1
2. शिक्षा			3	4	2
3. पेजजल				3	4
4. सफाई					4
5. नाली निर्माण					

हमारे पास जो पांच समस्याएं निकल कर आई हैं उन्हें उपरोक्त चार्ट में वर्टीकल एवं होरिजेंटल भरें और उनको क्रम से लिखें। छोटे समूह में क्रमशः दो विषयों के जोड़े को लेकर सवाल पूछें और उनके बताये अनुसार भरें। अंत में आप देखेंगे कि आपके पास एक प्रकार की लिस्ट तैयार हो गयी। अब यह देखें कि कितनों लोगों ने इसे दोहराया। उपरोक्त चार्ट में लोगों ने स्वास्थ्य को ज्यादा बार दोहराया है। अर्थात 1 नम्बर पर स्वास्थ्य को रखा गया है। चार बार आया है तो, यह पहली प्राथमिकता हो गई और। संख्या 4. जिस पर सफाई वर्णित है वो तीन बार आया है तो वह दूसरे नम्बर की प्राथमिकता हो गयी और अंत में सबसे कम प्राथमिकता नाली निर्माण को मिली अर्थात उपरोक्त तालिका के माध्यम से छोटे समूह में प्राथमिकता का निर्धारण किया जा सकता है।

इसके बाद इस विषय पर भी चर्चा करें कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसमें लागत की आवश्यकता या तो नहीं है या बहुत ही कम लागत से भी किया जा सकता है। जिसे योजना निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए।

जांच।

- सभी को संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करवाना।
- नवजात को तुरंत एवं लगातार स्तनपान सुनिश्चित करवाना।
- सभी बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण।
- गांवों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा और सुविधाओं की गुणवत्ता की निगरानी।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सभी बच्चों का पंजीकरण एवं उपस्थिति।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध पूर्व शिक्षा और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता की निगरानी।
- सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन एवं उपस्थिति।
- कोई भी बच्चा न स्कूल छोड़े और न निकाला जाए।
- स्कूलों में शिक्षा और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता की निगरानी।
- कोई बच्चा किसी आर्थिक लाभ या अन्यथा किसी प्रकार के काम में सलंग्न न हो (बाल श्रमिक न हो)।
- स्वयं अथवा सरकार की सहायता से प्रत्येक घर में शौचालय की उपलब्धता और नियमित उपयोग (खुले में शौच से मुक्त पंचायत)।
- कचरे के निपटान हेतु कूड़ेदान की व्यवस्था, तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का पालन, पंचायतों को स्वच्छ रखना।
- जनहित के कार्यों में जन सहयोग और श्रमदान सुनिश्चित करवाना।
- महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दे जैसे कि दहेज़ प्रथा, भ्रूण हत्या, बाल श्रम, बाल विवाह, घरेलू हिंसा तथा नशे की लत आदि में व्यवहार परिवर्तन संचार करना।

मुख्य बिन्दु

- ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्धारण में समुदाय के वंचित समूहों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धों से जुड़े मुद्दे, कम लागत और बिना लागत वाले मुद्दे तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े मुद्दे और उनके समाधान प्राथमिकता पर आ जाएं।

ध्यान रहे

- कॉलम नं. 3 और 4 में जानकारियां भरते समय सचेत ओर संवेदनशील रहें।
- किसी भी सेक्टर में आंकड़ों का विश्लेषण वंचित समुदाय के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।
- ये जानकारियां ग्रामीण सहभागी आकलन के लिए इस्तेमाल की गई सभी तकनीकों से सामने आई मैदानी तथा जमीनी हकीकतों, आपकी अंतर्दृष्टि और अनुभवों के आधार पर भरी जाएं।
- गुणात्मक जानकारियों तथा ग्रामीण सहभागी आकलन की विभिन्न तकनीकों के उपयोग के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों का दस्तावेजीकरण सही प्रकार से किया जाना जरूरी है।
- पारिस्थितिकीय विश्लेषण से पांचों क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति को समझा जा सकता है।
- वर्तमान में चल रही योजनाओं, योजनाओं का कवरेज और क्रियान्वयन की गुणवत्ता का भी विश्लेषण किया जा सकता है।
- पंचायत स्तर पर संकलित और विश्लेषित पांचों क्षेत्रों की स्थिति की तुलना राष्ट्रीय/राज्य/जनपद स्तर के आंकड़ों से करना जरूरी है।
- इस प्रक्रिया से राष्ट्र, राज्य और जनपद की स्थितियों और पंचायत की स्थितियों का अंतर पता चलता है।
- इस अंतर के आधार पर पंचायत के स्तर को गंभीर, सामान्य और यथोचित की श्रेणी में बांट सकते हैं।
- ग्राम पंचायत में एकत्र एवं विश्लेषित आंकड़ों को ड्राफ्ट रिपोर्ट का रूप दिया जाना जरूरी है।

नोट : पारिस्थितिक विश्लेषण, उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्नवत् प्रपत्र में किया जाए

क्र.सं.	सेक्टर/विषय	वर्तमान स्थिति	समस्या/आवश्यकता	प्राथमिकता	निराकरण
सामाजिक तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दे					
1					
2					
3					
4					

ग्राम पंचायत विकास योजना का चौथा चरण

इस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान तैयार किया जाता है - ग्राम पंचायत विकास योजना में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों पर समझ विकसित की जाती है। इसके साथ ही प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ड्राफ्ट प्लान विकसित करने पर समझ विकसित कराना है।

ग्राम पंचायतों को कहां-कहां से आय प्राप्त होती है तथा पंचायत स्तर पर कौन-कौन से विभागों द्वारा कर्मी नियुक्त किये गए इस पर चर्चा कराना एवं इनकी मदद कैसे ली जा सकती है इसकी योजना बनाना।

इसी चरण में फार्मेट पर उलपब्ध संसाधनों के आधार पर ग्राम पंचायत की विकास योजना के प्रारूप पर चर्चा भी होगी।

क्या करें

इस सत्र में दो गतिविधियों पर चर्चा की जाये। पहला पंचायत में उपलब्ध संसाधन (वित्तीय एवं मानवीय संसाधन) के सापेक्ष (आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं) को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट पालन कैसे तैयार करें। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जाए।

ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार करने में मानव संसाधन एवं वित्तीय संसाधनों का आकलन मुख्य रूप से किया जाये। किसी भी देश अथवा प्रदेश का विकास केवल सरकारी क्षेत्र के परिव्यय पर ही निर्भर नहीं करता, अपितु अन्य क्षेत्रों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का भी विभिन्न विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय केवल राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों के अतिरिक्त विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों का भी आकलन किया जाना चाहिए।

पूर्व वर्षों की उपलब्धियों एवं भावी संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखने से यह अनुमान लगाना सम्भव हो सकेगा कि उनके आधार पर संचालित किए जाने वाले आर्थिक एवं अन्य कार्यक्रमों को भी योजना में सम्मिलित किया जा सकता है। मानव संसाधन के अन्तर्गत विभागीय कर्मचारियों एवं अन्य मानव संसाधन जैसे कि एस.एच.जी. सेवा निवृत्त कर्मचारी इत्यादि का भी सहयोग प्राप्त कर ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए तथा क्रियान्वयन में योगदान लिया जाए।

रिसोर्स एनवेलप का निर्धारण

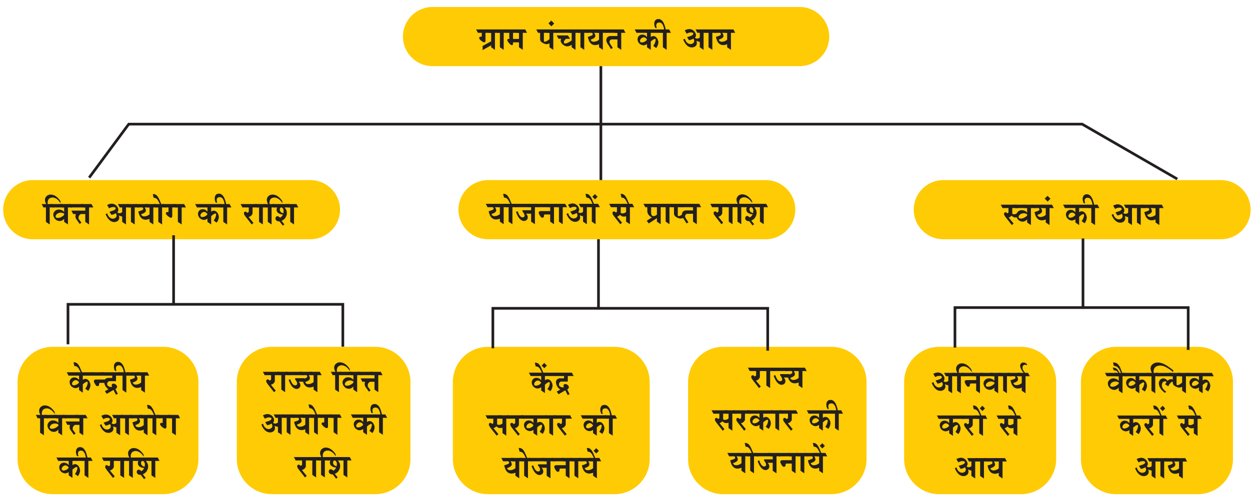

ग्राम विकास नियोजन प्रक्रिया से पहले सम्बंधित ग्राम पंचायत के बजट को जानना बहुत आवश्यक है।

जिससे योजना निर्धारण के समय राशि का अनुमान लागाकर अगले साल के खर्च का अनुमान लगया जाता है। सरकार द्वारा नागरिकों के विकास की कई योजनायें संचालित की जाती हैं, वर्तमान में कई योजनाओं का पैसा जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, श्रमिकों का मजदूरी भुगतान, हितग्राहीमूलक योजनाओं का भुगतान सीधे उनके बैंक खातें में आता है। कई योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मरनेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आदि। इसके लिए सरकार द्वारा पंचायतों को राशि दी जाती है। वर्तमान में 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य वित्त आयोग की राशि सीधे पंचायतों को प्राप्त हो रही है। पंच परमेश्वर योजना को इसमें समाहित कर दिया गया है।

ग्राम पंचायत की वार्षिक आमदनी का आकलन

ग्राम पंचायत का नाम..ग्राम पंचायत में शामिल ग्राम संख्या..
जनपद पंचायत का नाम......................................जिला पंचायत का नाम...

क्र.	ग्राम पंचायत की आय के स्त्रोत/योजनाएं	वर्ष 2017 - 18 वास्तविक व्यय राशि	वर्ष 2018 - 19 में अनुमानित आय	रिमॉर्क
	वित्त आयोग से प्राप्त आमदनी			
1.	केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त राशि (14वां वित्त आयोग)			
2.	राज्य वित्त आयोग (पंच परमेश्वर)			
	केन्द्रीय योजनाओं से प्राप्त आमदनी			
1.	रोज़गार गारंटी अधिनियम			
2.	ग्रामीण विकास विभाग			
3.	प्रधानमंत्री आवास योजना			
4.	स्वच्छता अभियान कार्यक्रम			
5.	केन्द्रीय पेंशन योजनायें			
6.	नलजल योजना			
7.	सर्व शिक्षा अभियान			
8.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन			
9.	ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NHM)			
10.	अन्य योजनायें......			
11.	अन्य योजनायें......			
	राज्य योजनाओं से प्राप्त आमदनी			
1.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन			
2.	मुख्यमंत्री आवास योजना			
3.	मुख्यमंत्री मजदूर योजना			
4.	अन्य योजनायें........			
5.	अन्य योजनायें.......			
	जिला एवं पंचायत सेक्टर की योजनाओं से प्राप्त आमदनी			
1.	योजना का नाम			
2.	योजना का नाम			
	जन प्रतिनिधि क्षेत्रीय विकास निधि एवं अन्य अनुदान			
1.	विधायक निधि			
2.	सांसद निधि			
3.	अन्य अनुदान.......			
	पंचायत की स्वयं की आय से प्राप्त आमदनी			
1.	जलकर/प्रकाश कर			
2.	जनभागीदारी			
3.	अन्य कर			
	अन्य स्त्रोतों से आमदनी			
1.				
2.				
	महायोग			

2. वित्तीय संसाधन

ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग की बड़ी धनराशि प्राप्त होगी, इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि निम्नलिखित मदों में प्राप्त होती है।

- स्वयं के संसाधन से (कर आदि लगाए जाने से प्राप्त धनराशि)
- चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि।
- राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि।
- अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि।
- सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि।
- निजी पूंजी से प्राप्त धनराशि।
- पंचायत घर निर्माण।
- अन्य संसाधन यदि कोई हों।

ग्राम पंचायत में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का दो स्वरूप दिखायी देता है, पहला टाइड तथा दूसरा अनटाइड-

टाइड फंड : वह फंड जिसे समिति मत में ही किया जा सकता है अर्थात यह पहले कहां खर्च किया जाएगा यह पहले से निर्धारित होता है जैसे :

स्वच्छ भारत मिशन

पंचायत भवन

अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

सी.सी. रोड व के.सी. ड्रेन नाली

अनटाइड फंड : यह वह फंड है जिसके लिए समिति मत नहीं होता है, अर्थात कई विकल्प होते हैं।

जहां ग्राम पंचायत अपनी आवश्यकतानुसार खर्च कर सकती है :

चौदहवें वित्त आयोग

राज्य वित्त आयोग

राजस्व से प्राप्तियाँ

सी.एस.आर. गतिविधियां

वी.एच.एस.एन. फण्ड

मनरेगा में सम्पूर्ण प्रदेश के लिए 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि।

ग्राम सभा में चर्चा हेतु

ड्राफ्ट रिपोर्ट का प्रारूप

ग्राम पंचायत का नाम :...

क्षेत्र पंचायत का नाम :...

जिला पंचायत का नाम :...

वर्ष :...

क्रम	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	कार्य का क्षेत्र	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित धन राशि	अवधि	लाभार्थी अंश	योजना का परिव्यय (सामान्य/एससीएस)

ग्राम सभा में ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुमोदन की गतिविधियों की चर्चा पर प्रस्तुतिकरण

- ग्राम सभा की बैठक में विकास स्थिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट का वाचन करना अथवा पढ़ा जाना।
- यह वाचन पंचायत नियोजन समिति के सदस्यों या स्रोत समूह के सदस्यों अथवा कार्यवाही समूह के सदस्यों द्वारा पढ़ा जाए।
- पेय जल, स्वच्छता, शिक्षा, सम्पर्क और जन स्वास्थ्य आदि मानव विकास संवेदी मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाए।
- इस वाचन के आधार पर ग्राम सभा पाचों क्षेत्रों के मुद्दों पर विचार-विमर्श करे और उनमें सुधार के लिए विकास की एक समग्र परिकल्पना का निर्माण करे। यह परिकल्पना इस बिन्दु पर केन्द्रित हो कि ग्राम सभा अपनी पंचायत को 5-10 साल बाद किस रूप में देखना चाहती है। विशेष रूप से :
- स्वच्छता और प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के क्षेत्र में।
- महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में।
- अति गरीब और वंचित वर्गों के संबंध में।
- दिव्यांग तथा बहु बाध्यता वाले लोगों के संबंध में।
- इस प्रकार के मुश्किल और कठिन मुद्दों की पहचान करना जिन्हें प्राथमिकता में लेना जरूरी है।
- ग्राम पंचायत के रिसोर्स एनवेलप पर चर्चा।
- रिसोर्स एनवेलप की कमियां और विकास की जरूरतों को पूरा करने में समुदाय की भागीदारी पर चर्चा।
- उपरोक्त सूचनाओं और विगत सत्र के दस्तावेजों के आधार पर उन्हें "विकास की स्थिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट DSR का प्रस्तुतिकरण करना है।

● प्रस्तुति : समता पाठक

ग्राम पंचायत विकास योजना का पाँचवां चरण

इस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं आगे की क्रियान्वयन की रणनीति पर चर्चा शामिल है।

क्या करें

- यहां पर ग्राम पंचायत से जिले स्तर तक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की क्या परिसीमाएं हैं इस पर चर्चा कराना।
- ड्राफ्ट पालन का ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुतिकरण, अनुमोदन एवं आगे की रणनीति पर चर्चा कराना।
- संबंधित विभागों के कर्मियों की सहायता से परियोजना बनाई जाती है और बजट का आकलन भी किया जाता है।
- राज्य के मार्गदर्शिका के अनुसार ग्राम पंचायत से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ली जाती है।
- राज्य की मार्ग निर्देशिका के अनुसार तकनीकी सेल, अफसरों से तकनीकी स्वीकृति ली जाती है।

परियोजना निर्माण में निम्नलिखित अवयवों (अंशों) का होना आवश्यक है, जैसे कि-

- परियोजना का शीर्षक।
- पारिस्थितिक विश्लेषण के आंकड़ों के आधार पर परिचय - पृष्ठभूमि और परियोजना का सारांश।
- परियोजना का विवरण।
- परियोजना का उद्देश्य।
- परियोजना का स्थान।
- परियोजना के अंश एवं गतिविधियों का विवरण।
- बजट-लागत और फंड का स्रोत-परियोजना के अंशवार लागत और फंड का विवरण।
- **समयावधि और कार्ययोजना-** परियोजना के क्रियान्वयन का कैलेण्डर।
- क्रियान्वयन योजना और क्रियान्वयन हेतु संस्था।
- **अपेक्षित परिणाम-** ग्राम सभा के निर्णयों के आधार पर लाभार्थी/लाभान्वित क्षेत्र।
- कार्यवाही और रख-रखाव-कार्यवाही और रख-रखाव की प्रणाली।
- **अनुश्रवण-** अनुश्रवण के सूचक और अनुश्रवण हेतु प्रस्तावित पद्धति।

परियोजना निर्माण का प्रारूप जिसे प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी की स्वीकृति के लिए प्रयोग किया जाएगा।

ग्राम पंचायत का नाम :

परियोजना का प्रकार :

विकास का क्षेत्र :

शीर्षक :

क्र.	संख्या	विषय
1.	परिचय	
2.	विवरण	
3.	उद्देश्य	
4.	अपेक्षित परिणाम/ दूरगामी परिणाम	
5.	स्थान	
6.	परियोजना के अवयव (अंश)	
7.	क्रियान्वयन योजना और क्रियान्वयन हेतु संस्था	
8.	अनुश्रवण प्रणाली	
9.	बजट	
10.	समयावधि	

परियोजना निर्माण के बाद

- परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है।
- तकनीकी सेल अफसरों को तकनीकी अनुमोदन के लिए पत्र भेजा जाता है।
- तकनीकी अनुमोदन के आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाता है।
- ग्राम सभा के दौरान प्राथमिकीकरण की सूची का मिलान करते हुए ग्राम पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- तकनीकी अनुमोदन के पश्चात ग्राम पंचायत योजना की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- अंतिम अनुमोदन से पहले ग्राम पंचायत समिति को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि योजना का निर्माण लिए गए निर्णयों के अनुरूप है।

ग्राम पंचायत समिति की बैठक के लिए क्या जरूरी है

- बैठक में ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो।
- जिन विभागों के माध्यम से परियोजना का क्रियान्वयन होना है, उन विभागों के प्रतिनिधियों की बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित हो।
- स्रोत समूह के प्रतिनिधियों की उपस्थिति और भागीदारी सुनिश्चित हो जिससे हर जिज्ञासा का उत्तर दिया जा सके।
- ग्राम सभा द्वारा किए गए प्राथमिकीकरण की तुलना और चर्चा की जा सके।
- ग्राम पंचायत कमेटी द्वारा परियोजना और बजट का अनुमोदन हो।
- बैठक के दौरान हुई चर्चा को रिकॉर्ड किया जाए। उसकी रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होती है।
- बैठक के अन्त में निर्णयों को सभी को पढ़ कर सुनाया जाना चाहिए और उस पर सभी समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर लेने चाहिए।
- ग्राम सभा के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा और निर्णय लिया जाना चाहिए।
- इस बैठक में परियोनाओं के क्रियान्वयन के दौरान उनके अनुश्रवण की प्रक्रिया के संबंध में ग्राम सभा के सभी सदस्यों को प्रेरित किया जाना चाहिए।
- अनुमोदित योजना को प्लान-प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना।

ग्राम सभा से अनुमोदन के पूर्व कुछ गतिविधियां

- वातावरण निर्माण की गतिविध में ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में समुदाय को भागीदारी के लिए प्रेरित करने हेतु ग्राम सभा की बैठक के स्थान पर बैठने, साउंड सिस्टम, पीने के पानी की व्यवस्था करना।

ग्राम सभा में भाग लेने के लिए संबंधित विभागों को सूचना भेजना।

- गांव वालों को ग्राम सभा में भागीदारी के लिए सूचना भेजना।

ग्राम सभा से अनुमोदन के दौरान गतिविधियां

- ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत विकास योजना एवं परियोजनावार विवरण का प्रस्तुतिकरण।
- तैयार की गई ग्राम पंचायत विकास योजना पर चर्चा।
- ग्राम सभा द्वारा योजना का अनुमोदन।
- बैठक की गतिविधि रिपोर्ट तैयार करना। इस बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट प्लान प्लस पर PDF फाइल इस बात की पुष्टि हेतु अपलोड की जाती है यह कार्य योजना सबकी सहभागिता एवं ग्राम सभा के अनुमोदन के साथ बनाई गई है।
- ध्यान रखें कि योजना को क्रियान्वित करने वाले सरपंच, सचिव, ग्राम पंचायत सदस्य और विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक है।

ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद की गतिविधियां

- क्रियान्वयन की रणनीति को अंतिम रूप देना।
- परियोजना के तकनीकी अनुमोदन के लिए पहल करना।
- ग्राम सभा के दौरान लिए गए निर्णयों को नोटिस बोर्ड पर चिपकाना और अन्य स्थानीय संस्थाओं में प्रदर्शित करना।
- अनुमोदित योजना को जिला एवं ब्लॉक पंचायत को जानकारी/धनराशि का विवरण शामिल हो, को नोटिस बोर्ड पर चिपकाना और अन्य स्थानीय संस्थाओं में प्रदर्शित करना।

योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण क्रियान्वयन

यह सुनिश्चित करना कि योजना का सही प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है।

- ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन और अनुश्रवण में स्थानीय

लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

- परियोजना के प्रारम्भ होने के समय गांव वालों के साथ चर्चा करना चाहिए।
- सामग्री का उपार्जन पारदर्शी और बराबरी के तरीके से हो।
- मजदूरों को काम उपलब्ध कराना (कुशल/अर्ध-कुशल/अकुशल-मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की सूची द्वारा)।
- प्रतिदिन के मास्टर रोल पर उपस्थिति।
- कार्य का निरीक्षण।
- कार्य/सामग्री का नाप-जोख और निरीक्षण और एम.बी. में लिखना/दर्ज करना।
- नियमानुसार मजदूरों की मजदूरी पर भुगतान करना।
- विक्रेता को बिलों के आधार पर भुगतान करना।
- संबंधित एकाउन्ट और रिकॉर्ड का ब्यौरा रखना।
- कार्य पूर्ण के पश्चात कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट तैयार करना।

अनुश्रवण

- ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा तथा प्लान-प्लस सॉफ्टवेयर (www.planningonline.gov.in) पर कार्य योजना को अपलोड किया जायेगा। यह सचिव का दायित्व है।
- योजना के अवलोकन में पंचायत की स्थायी समितियों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। निर्धारित कार्य के अनुसार जो भी संबंधित समिति जिम्मेदार है, वह अपनी सहायता हेतु लाभार्थियों के बीच से कुछ लोगों का चयन करे और हो रहे कार्यों की निगरानी में मदद के लिए एक अनुश्रवण समिति गठित कर लें। इससे लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ विकास योजना के प्रति लोगों में अपनत्व और स्वामित्व का बोध भी आएगा।
- योजना निर्माण संबंधी सभी व्यय 14वें वित्त आयोग की निधि से खर्च होंगे।
- एक्शन सॉफ्टवेयर (www.reportingonline.gov.in) पर प्रत्येक कार्य की वर्क आई.डी. जनरेट की जाएगी एवं कार्यों की मासिक प्रगति भी एक्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपोर्ट की जाएगी।
- प्रिया सॉफ्टवेयर (www.accountingonline.gov.in) पर कार्यों के आई.डी. (वर्क आई.डी.) के सापेक्ष खर्च का ब्यौरा भी दिया जाएगा।
- योजना बनाने की प्रक्रिया का शत-प्रतिशत निरीक्षण विकास अधिकारी (पंचायत) ADO पंचायत द्वारा 03 माह में किया जाएगा।
- जिला पंचायत अधिकारी (DPRO) द्वारा 10 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जाएगा।
- मुख्य विकास अधिकारी (CDO) द्वारा 2 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जाएगा।
- संबंधित जिलाधिकारी द्वारा, ग्राम पंचायत के भ्रमण के समय ग्राम पंचायत विकास योजना का निरीक्षण किया जाएगा।

टास्क फोर्स द्वारा किये जाने वाले कार्य

प्रशिक्षण पश्चात् टास्क फोर्स द्वारा ग्राम पंचायत में किये जाने वाले कार्य-

1. सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठक एवं चर्चा-

- सरपंच एवं समिति सदस्यों को प्रशिक्षण के सत्रों की जानकारी देना।
- ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी देना।
- ग्राम पंचायत विकास योजना पर ग्राम सभा को जानकारी देने हेतु रणनीति तैयार करना।
- ग्राम सभा में प्रस्तुतिकरण हेतु जिम्मेदारी तय करना।
- ग्राम सभा की बैठक हेतु एजेण्डा के बिन्दुओं पर चर्चा।
- चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत में उपस्थित विकास के मुद्दों की सूची तैयार करना।
- ग्राम पंचायत के Vision Statement को ग्राम सभा में किस प्रकार तय करेंगे, इस पर चर्चा।
- ग्राम पंचायत के माध्यम से सभी ग्राम सभा के सदस्यों को बैठक की सूचना देने हेतु चर्चा। (मुनादी कराना, डुग्गी पिटवाना, पत्र भेजना, व्यक्तिगत सूचना देना आदि)
- ग्राम पंचायत में प्रचार-प्रसार हेतु गतिविधियों पर चर्चा। (बैठक, प्रभात फेरी, रैली, दीवार लेखन, पत्राचार आदि)
- ग्राम सभा में सभी वर्ग, समुदाय कर प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु रणनीति पर चर्चा।
- ग्राम पंचायत में मौजूद ऐसे लोग जो भविष्य में योजना निर्माण की प्रक्रिया में मदद करेंगे उन व्यक्तियों को चिन्हित करना।

गतिविधि	**सम्भावित दिवस**	**उद्देश्य**
टास्क फोर्स के प्रशिक्षित सदस्यों की सरपंच और पंचायत सदस्यों के साथ बैठक	1 दिन	• प्रशिक्षण की बातों को साझा करना। • सहयोग की अपेक्षा। • आगामी ग्राम सभा बैठक की तैयारी।
ग्राम सभा की बैठक	1 दिन	• जी.पी.डी.पी. के बारे में चर्चा। • पूरी प्रक्रिया का साझा। • आगामी गतिविधियों का साझा।
द्वितीयक डाटा का कलेक्शन	3 दिन सरपंच, सचिव, नियोजन समिति टास्क फोर्स	• आगामी पी.आर.ए. टूल्स के माध्यम से निकली वास्तविक स्थिति की तुलना हेतु एवं वास्तविक स्थिति निकालने हेतु।
पारिस्थितिकीय विश्लेषण पारिवारिक जांच सामाजिक संसाधन समूह चर्चा	2 दिन 1 दिन 1 दिन 2 से 3 दिन	• गांव की वास्तविक समस्याओं आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के निर्माण में सहायता हेतु।
उपरोक्त स्रोतों से निकले बिन्दुओं को समेकित करना एवं सूचीबद्ध करना।	3 दिन	• ताकि योजना बनाने में सफलता मिले और सही योजना बन सके।
संसाधनों की उपलब्धता का विवरण एवं संकलन	1 दिन	• जिससे कि ग्राम पंचायत की योजना में कौन-कौन से विषयों को उपलब्ध बजट के अनुसार लिया जा सके।

हमारी ग्राम पंचायतें : एक परिचय

ग्राम पंचायत - गठन

- एक हजार की आबादी पर किसी गांव या गांवों के समूह को राज्य सरकार पंचायत का दर्जा देगी। गांव का तात्पर्य राजस्व गांव से है।
- लेकिन यह अवश्य याद रखें इस पंचायत के लिए किसी राजस्व गांव या उसके मजरे को नहीं तोड़ा जाएगा।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरपंच होगा।
- 1000 तक की आबादी पर 9 सदस्यों को चुना जाएगा।
- 1001-2000 तक की आबादी वाली पंचायतों में एक सरपंच और 11 दूसरे सदस्य होंगे।
- 2001-3000 तक की आबादी वाली पंचायतों में एक सरपंच और 13 दूसरे सदस्य होंगे।
- 3001 या उससे ऊपर की आबादी वाली पंचायतों में 15 सदस्य होंगे।

पंचायतों में आरक्षण कैसे होता है?

- नई पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- एक विकास खण्ड के तहत आने वाले कुल गांवों में लगभग 21 प्रतिशत पदों पर गांवों के सरपंच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के होंगे तथा इसमें भी एक तिहाई से अन्यून सरपंच इस वर्ग की महिलाएं होंगी।
- इसी तरह विकास खण्ड के कुल गांवों में से 27 प्रतिशत गांवों के सरपंच पिछड़े वर्गों से एवं इसी 27 प्रतिशत में से एक तिहाई से अन्यून प्रधान पिछड़े वर्गों की महिलाएं होंगी।

पंचायत का कार्यकाल क्या होता है?

- पंचायत के चुने जाने के बाद पहली बैठक के लिए तय तारीख से 5 साल तक पंचायत बनी रहेगी।
- लेकिन यह याद रखें अगर 5 साल पूरे होने में कम से कम 6 महीने पहले पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो पंचायत का दोबारा चुनाव होगा। इस तरह चुनी हुई पंचायतें बचे हुए समय तक काम करेंगी।

ग्राम पंचायत की बैठक कब और कहां होगी?

- हर महीने कम से कम एक बैठक जरूरी है।

- राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को यह बैठक आयोजित की जाएगी।
- लेकिन याद रखें कि, जरूरत पड़ने पर यह बैठक महीने में एक से अधिक बार भी हो सकती है।
- बैठक उस स्थान पर बुलाई जाएगी जहां पर पंचायत का कार्यालय होगा या अन्य कोई सामाजिक स्थान।
- जिन ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच हैं वहां ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता महिला सरपंच द्वारा ही की जाएगी। महिला सरपंचों के संबंधित व्यक्तियों का ऐसी बैठक में प्रवेश वर्जित है।

बैठक की सूचना कैसे देंगे?

- जिस तारीख को बैठक होती है, चपरासी या चौकीदार के द्वारा उससे कम से कम 5 दिन पहले बैठक की सूचना सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जानी चाहिए।
- यह सूचना चौकीदार या चपरासी के द्वारा सदस्यों तक भेजी जा सकती है।
- याद रखें, पंचायत की बैठक की सूचना पंचायत की सीमा के अंदर मुख्य स्थानों पर सूचना चिपका कर दी जाएगी।
- सूचना में यह भी लिखा जायेगा कि बैठक में किन-किन मुद्दे पर बातचीत होनी है।
- बैठक की सूचना में दिनांक, स्थान व समय का उल्लेख होना आवश्यक है।
- सामान्यतः बैठकें उस ग्राम में होंगी जहां ग्राम पंचायत का कार्यालय उपलब्ध होगा।

ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलायेगा?

- पंचायत की बैठक बुलाने का अधिकार सरपंच को है।
- लेकिन याद रखें कि, अगर पंचायत के 1/3 सदस्य किसी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहें तो सरपंच को पत्र मिलने के 15 दिन के अंदर बैठक बुलानी होगी।
- यदि सरपंच बैठक नहीं बुलाते हैं तो ग्राम सहायक (पंचायत) बैठक बुला सकता है।

ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा?

- पंचायत की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा।
- सरपंच की अनुपस्थिति में उसके द्वारा लिखित रूप से मनोनीत सदस्य (पंच) बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- यदि यह भी संभव नहीं हो पाया तो ग्राम सहायक (पंचायत) अध्यक्षता करने के

लिए सदस्य को मनोनीत करेगा।

- याद रखें, यदि सरपंच और ग्राम सहायक पंचायत के किसी पंचायत सदस्य को अध्यक्ष मनोनीत नहीं कर पायें तो बैठक में भाग लेने वाले सदस्य अपने बीच से ही किसी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुन सकते हैं।

ग्राम पंचायत की बैठक में क्या होगा?

- बैठक में सबसे पहले पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़ कर सुनाई जायेगी और उसकी पुष्टि के बाद सरपंच उस पर हस्ताक्षर करेंगे।
- बैठक में पिछले माह के खर्चों का हिसाब-किताब रखा जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा।
- जो सरकारी सूचना और आदेश मिले हैं उन्हें पढ़ कर सुनाया जायेगा।
- पंचायत में चल रहे विकास के कामों की जानकारी दी जायेगी।
- पंचायत की समितियों के द्वारा किये जा रहे कामों को पढ़ कर सुनाया जायेगा और उन पर विचार किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए माह नवम्बर तक ग्राम पंचायत का बजट तैयार करेगी एवं उसे स्वीकृति हेतु ग्राम सभा में प्रस्तुत करेगी।
- इसके पश्चात् अन्य विषयों पर यदि कोई हो तो विचार किया जाएगा।
- बैठक में जो भी बातचीत होगी और फैसला किया जायेगा, उसे एक रजिस्टर में लिखा जायेगा और उसकी नकल ग्राम सहायक (पंचायत) को बैठक के सात दिनों के अंदर दी जाएगी।
- लिये गये फैसले पर तीन महीनों के भीतर दोबारा विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि दो तिहाई सदस्य लिखित रूप से इसके लिए प्रार्थना-पत्र न दे दें।
- याद रखें, पंचायत सदस्य ऐसे ही सवाल पूछ सकते हैं जो पंचायत के काम से

योजना निर्माण

मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
जल स्रोत			
● शुद्ध पेय जल व्यवस्था, पेय जल के स्रोत व संख्या			
● कितने घरों में पाइप वॉटर सप्लाई			
● इण्डिया मार्क 2 के हैंडपंप की संख्या			
● उथला (कम गहरा) हैंडपंप की संख्या			
अन्य जल स्रोत की संख्या (जैसे : कुआं, तालाब, आदि)			
स्वच्छता			
शौचालयों की संख्या:			
● व्यक्तिगत शौचालय			
● सामुदायिक शौचालय			
● स्कूल शौचालय			
साफ-सफाई की व्यवस्था			
● कूड़ा-कचरा निपटान			
● ठोस, तरल पदार्थों का प्रबंधन			
नागरिक सेवाएं			
● जन्म/मृत्यु पंजीकरण			
● परिवार रजिस्टर कॉपी			
● विवाह रजिस्ट्रेशन			
● भूमि संबंधित दस्तावेज (खसरा, खतौनी, ऋण पुस्तिका आदि)			
● आधार पंजीकरण			
स्वास्थ्य			
● प्राथमिक/सामुदायिक केन्द्र की उपलब्धता 1000 की आबादी पर एक आशा होनी चाहिए। क्या ग्राम पंचायत में पर्याप्त संख्या में आशाएं नियुक्त हैं?			
● गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण एवं दवाइयों की उपलब्धता			
● स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प (मौसमी बीमारियां, महामारी आदि)			
● क्या वी.एच.एन.डी. सत्र का आयोजन 1000 की आबादी पर ऐसे स्थान पर होता है, जहां पर मजरों सहित लक्षित आबादी की पहुंच हो।			
● क्या युवाओं और किशोरों में नशे की प्रवृत्ति है? यदि हां, तो पंचायत इसे दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है?			

योजना निर्माण

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
बाल विकास एवं पुष्टाहार			
● बच्चों की संख्या			
● आंगनवाड़ी की संख्या			
● आंगनवाड़ी में उपलब्ध सुविधाएं			
● आंगनवाड़ी में प्राथमिक पूर्व शिक्षा (ECE) की गतिविधियों का संचालन?			
● आंगनवाड़ी पर बच्चों का नियमित वज़न			
● प्रसूति/गर्भवती महिलाओं को परामर्श/सेवाएं			
● किशोरियों हेतु आयरन फोलिक एसिड की गोली का वितरण			
● कुपोषण की स्थिति			
शिक्षा			
● स्कूलों की संख्या व प्रकार			
● शिक्षकों की संख्या/उपलब्धता			
● शिक्षा का अधिकार मानदंड के अनुसार स्कूल में व्यवस्था/सुविधाएं			
● ड्रॉप आउट की स्थिति और कारण			
● बाल श्रम, बाल विवाह			
● मध्यान्ह् भोजन की व्यवस्था			
● स्कूल प्रबन्धन समिति (SMC) की बैठकें होती हैं?			
● स्कूल प्रबन्धन समिति के द्वारा विद्यालय विकास की योजना बनी है?			
● क्या योजना को ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया है?			
सामाजिक सुरक्षा			
● राशन कार्डों की श्रेणी एवं संख्या			
● राशन दुकानों की संख्या एवं व्यवस्था			
● राशन की दुकान पर नियमित आपूर्ति होती है?			
● राशन की दुकान पर सभी लोगों को उनकी पात्रता के अनुरूप सभी सामग्री मिलती है?			
● राशन की दुकान पर सिग्नल न मिलने के कारण राशन प्राप्ति में कोई दिक्कत होती है क्या?			
● पात्रता के अनुसार आवास			
● वृद्धावस्था/दिव्यांग/विधवा पेंशन			
● योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति			
● सभी योग्य परिवार को एन.एफ.एस.ए. (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट) का लाभ			
खेलकूद की व्यवस्था			
● गांव में पंचायत ने किशोर/किशोरियों और युवाओं के लिए कुछ खेल सामग्री उपलब्ध कराई है?			

जुड़े हों। वो ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते जो बिना वजह के झगड़े पैदा करने वाले

बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा?

- ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा।
- अगर सरपंच बैठक के वक्त उपस्थित नहीं हैं तो सरपंच द्वारा लिखित रूप से मनोनीत सदस्य ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- अगर निर्धारित अधिकारी ने भी किसी को मनोनीत नहीं किया है तो ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को चुन सकती है।

बैठक में क्या किया जायेगा?

- बैठक में सबसे पहले पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई जाएगी और उसकी पुष्टि के बाद सरपंच उस पर हस्ताक्षर करेंगे।
- पिछली बैठक के बाद के खर्चे का हिसाब रखा जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा।
- इसके बाद और दूसरे मुद्दों पर अगर कोई हो तो विचार किया जायेगा।
- ग्राम सभा के बैठक की कार्यवाही हिन्दी में लिखी जाएगी।
- बैठक में जो भी बातचीत होगी और फैसला किया जाएगा उन्हें एक रजिस्टर में लिखा जाएगा और उसकी नकल 7 दिनों के अंदर ग्राम सहायक (पंचायत) के पास जमा कर दी जाएगी।

ग्राम सभा के कार्य

- विकास के संदर्भ में निर्णय की प्रक्रिया में जन सामान्य की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करना।
- सबके लाभ के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए लोगों की भागीदारी श्रम के रूप में और साथ ही साथ पैसे और सामान के रूप में अंशदान जुटाना।
- ग्राम सभा की बैठक में लाभार्थियों की

योजना निर्माण

संरचनाओं सहित पर्यावर्णीय मुद्दों और आपदा प्रबंधन के मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों, सम्पत्तियों का रख-रखाव			
● गांव में रोड और नालियों का निर्माण और रख-रखाव			
● बिजली के खंभों की संख्या			
● सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था			
● गांव में कितने घरों में बिजली का कनेक्शन है?			
● गांव में बिजली की सप्लाई कितनी देर के लिए होती है?			
● प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का रख-रखाव			
● हैंडपंप			
● ए.एन.एम. उपकेन्द्र			
● पंचायत भवन, बारात घर, चौपाल			
● ग्रामीण बाजार/हाट			
● कूडा-कचरा पाटने वाला स्थान, कूड़ा घर और कूड़ा गड्ढा			
● पौधे-रोपण : सामाजिक वानिकी			
● पर्यावरण संरक्षण के कार्य			
यदि ग्राम में प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास है तो			
● आपदा से पूर्व की तैयारियां			
● आपदा के दौरान की तैयारियां			
● आपदा के बाद की तैयारियां			
श्मशान/कब्रिस्तानों का विस्तार			
● गांव में श्मशान है?			
● गांव में कब्रिस्तान है?			
● इनकी स्थिति कैसी है?			
पार्क का रख-रखाव			
● पार्क की व्यवस्था			
● पार्क कितना उपयोगी है?			
● क्या वहां बच्चों के खेलने के लिए कोई सामान और व्यवस्था है?			
लाइब्रेरी का रख-रखाव			
● गांव में या गांव के स्कूल में लाइब्रेरी (पुस्तकालय) है या नहीं?			
● यदि है तो उसका उपयोग कौन-कौन करता है?			
● क्या वहां रोज अखबार आता है?			

योजना निर्माण

आय एवं रोज़गार के साधन एवं आर्थिक मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
• कृषि में सहायता - कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता देने के लिए लाभार्थियों का चयन।			
• मनरेगा का वार्षिक प्लान (प्रोजेक्ट सहित)।			
• मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का रोज़गार एवं भुगतान।			
• स्वयं के रोज़गार के लिए ग्रामीणों की सहायता करना।			
• बाजार, हाट, गोदाम और अन्य आय के संसाधनों का निर्माण करना।			
• फलों की खेती में सहयोग।			
• पशु-पालन में सहयोग।			
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार मिशन के द्वारा कौशल निर्माण जैसे कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि।			
• राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के माध्यम से महिला समूह की स्थापना।			
• ऊशर/असिंचित भूमि में सिंचाई की व्यवस्था।			

पहचान करना।

- विकास के कामों के क्रियान्वयन में पंचायत की सहायता करना।

ग्राम सभा के अधिकार

- ग्राम सभा अपनी बैठक में नीचे लिखे विषयों पर विचार करेगी और उन पर ग्राम पंचायत को सुझाव दे सकती है। याद रखें, इन सुझावों को मानना पंचायत के लिए जरूरी नहीं है।
- ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट पर विचार-विमर्श व स्वीकृति प्रदान किया जाना।
- ग्राम पंचायत के खातों का सलाना विवरण पिछले वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च तक) की प्रशासन की रिपोर्ट और पिछले ऑडिट की टिप्पणी पर बातचीत।
- पिछले वित्तीय वर्ष में किये गये विकास के कामों की रिपोर्ट पर बातचीत।
- समाज के सभी वर्गों में मेल-जोल और एकता बढ़ाना।
- प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम।
- कोई दूसरे मामलों पर जैसे परिवार कल्याण, टीकाकरण पर्यावरण, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई वगैरह।

वातावरण निर्माण

राज्य स्तर पर

- मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में अन्य संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन।
- पंचायत विभाग के मंत्री द्वारा सभी स्थानीय निकायों को संबोधित, ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में पत्र।
- मीडिया का सहयोग लेने के लिए सूचना विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन।

जिला स्तर पर

- जिला अधिकारी (कलेक्टर) की अध्यक्षता में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों, समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, ब्लॉक प्रमुख तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन।

ब्लॉक स्तर पर

- उप जिला अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तरीय नियोजन एवं विकास समिति के दो सदस्य, आशा, ए.एन.एम., आंगनवाड़ी, रोज़गार सहायक के साथ कार्यशाला का आयोजन।

पंचायत स्तर पर

- सभी वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी, स्वयं सहायता समूह के अध्यक्षों की बैठक में ग्राम पंचायत स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा।

अन्य गतिविधियां

- जिला पंचायत अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी के संयुक्त पत्र के माध्यम से सरपंचों एवं कर्मियों को ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में अवगत कराना।
- चलचित्र के माध्यम से गांव वालों में जागरूकता लाना।
- परिवहन विभाग की बसों के माध्यम से

● प्रस्तुति : प्रवीण पाण्डे

प्रचार-प्रसार करना।

योजना निर्माण

सुशासन एवं समावेशन के मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितिकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
● अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं के प्रतिशत के आधार पर संरचनात्मक धनराशि का निर्धारण (पृथक से निर्धारण)।			
● एन.एस.ए.पी. (नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम) योजनाओं के अन्तर्गत वंचित समुदाय से पेंशन हेतु लाभार्थियों का चयन।			
● अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को उनके प्रतिशत के आधार पर आवास और शौचालयों का निर्धारण।			
● सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजातियों/गरीबों/अल्पसंख्यकों (दिव्यांग, विधवा और जिस परिवार की मुखिया महिला हो) को सही तरीके से प्राथमिकता देना।			
● सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिला प्रतिनिधियों को पुरस्कृत करना।			
● गरीबों, वंचितों, बुजुर्गों, निराश्रितों, दिव्यांगों और विधवाओं की स्थिति।			
● नियमानुसार पंचायत की बैठकें।			
● साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक का आयोजन और बैठक के मिनिट्स का सार्वजनिक प्रकाशन।			
● नियमानुसार पंचायत के सभी 6 समितियों की बैठक।			
● नियमानुसार अन्य समितियों जैसे कि वी.एच.एन.एस.सी.,			
● एस.एम.सी. एवं भूमि प्रबंधन समिति की बैठक।			
● ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सहायता देना ताकि लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।			

● प्रस्तुति : जय ठकराल

स्थानीय स्तर पर आवश्यकता अनुसार कुछ और गतिविधियां की जा सकती हैं

- अखबार
- रेडियो
- दूरदर्शन
- स्थानीय केबल ऑपरेटर
- सिनेमा हॉल
- सोडल मीडिया
- नुक्कड़ नाटक
- ब्रोसर, पेम्पलेट
- स्वयं सहायता समूह का सहयोग और सहकारी संस्थाएं।

सबकी योजना सबका विकास अंतर्गत
वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के निर्देश

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
भविष्य निधि कार्यालय के समीप
अरेरा हिल्स, (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास) भोपाल
Telephone : 0755-2557727, Fax-0755-2552899, E-mail adress : dirpanchayat@mp.gov.in

क्र. 16647/पं.रा/RGSA/2018 **भोपाल, दिनांक 11.12.2018**

प्रति,

1. कलेक्टर
   जिला- समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत-समस्त

विषय : "सबकी योजना सबका विकास" अंतर्गत वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने के लिये जन अभियान बाबत्।

संदर्भ : 1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 13007 दिनांक 05.09.2018
2. संचालनालय का पत्र क्रमांक 15600 दिनांक 02.11.2018

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से GPDP जन अभियान 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक आयोजन करने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू होने से गतिविधियां पूर्ण नहीं हो सकी हैं, जिसके संबंध में भारत शासन, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित वीसी दिनांक 05 दिसंबर को एवं दिनांक 07-08 दिसंबर को अभियान की कार्यशाला/समीक्षा बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार जन अभियान संबंधी निम्नानुसार गतिविधियां निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण किया जाना है।

स.क्र.	जन अभियान अंतर्गत निर्धारित गतिविधियां	समय सीमा	रिमार्क/कार्यवाही
1.	सभी ग्राम पंचायतों में फेसिलिटेटर की शत-प्रतिशत् नियुक्ति की जानकारी MA App एवं GPDP Portal पर अपलोडिंग।	20.12.2018	फेसिलिटेटर/जीआरएस एवं सीईओ जनपद पंचायत
2.	GPDP Portal पर 2 विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन की तिथियों का निर्धारण कर ग्राम सभाओं के Schedule को GPDP Portal पर अपलोडिंग। **टीप :-** विशेष ग्राम सभाओं में लाइन विभाग के मैदानी अमले/फ्रंट लाइन वर्कर्स की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कैलेण्डर का निर्धारण।	15.12.2018	सीईओ जिला/जनपद पंचायत एवं डीपीएम (एम पी-एसआरएलएम)
3.	सभी ग्राम पंचायतों में जन सूचना बोर्ड (PIB) की स्थापना। **विशेष टीप-** बोर्ड आकार (20x10 वर्गफुट) का स्पेशल ग्रामसभा के पूर्व बनाया जाना है, जो कि दीवाल पर/ लोहे का/फ्लेक्स प्रिंटिंग द्वारा बनाया जावे, राशि का	20.12.2018	सीईओ जिला/जनपद पंचायत एवं सरपंच संबंधित ग्राम पंचायत **टीपः-** बोर्ड स्थापना उपरांत बोर्ड के फोटोग्राफ को जीपीडीपी पोर्टल

	भुगतान 14वें वित्त आयोग की 10 प्रतिशत राशि से किया जाना है।		पर अपलोडिंग करना सुनिश्चित करें।
4.	शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों के बेसलाइन सर्वे की MA App पर अपलोडिंग।	20.12.2018	सीईओ जनपद/डीपीएम (एमपी-एसआरएलएम) एवं संबंधित फेसिलिटेटर ग्राम पंचायत
5.	विशेष ग्राम सभा का आयोजन एवं बेसलाइन सर्वे का अनुमोदन/सत्यापन एवं ग्राम सभा के फोटो की जीपीडीपी पोर्टल में अपलोडिंग।	25.12.2018 तक	सीईओ जनपद/डीपीएम (एमपी-एसआरएलएम) एवं संबंधित फेसिलिटेटर/जीआरएस ग्राम पंचायत
6.	सभी ग्राम पंचायतों में जीपीडीपी का निर्माण एवं GPDP अनुमोदन हेतु द्वितीय विशेष ग्रामसभा का आयोजन एवं ग्राम सभा के फोटो का जीपीडीपी पोर्टल में अपलोडिंग।	31.12.2018 तक	सीईओ जनपद एवं सरपंच/ फेसिलिटेटर संबंधित ग्राम पंचायत
7.	फेसिलिटेटर रिपोर्ट MA App/GPDP Portal पर अपलोडिंग	05.01.2019	फेसिलिटेटर/जीआरएस एवं सीईओ जनपद
8.	शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा GPDP (2019-20) की कार्ययोजना Plan-Plus पर अपलोडिंग।	10.01.2019	फेसिलिटेटर/जीआरएस एवं सीईओ जनपद पंचायत

उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने का कष्ट करें। **भारत शासन से प्राप्त निर्देशानुसार जन अभियान की मॉनीटरिंग हेतु नेशनल लेवल मॉनिटर्स द्वारा रेंडम चयन के आधार पर ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया जावेगा,** जो कि 16.12.2018 से प्रदेश में प्रस्तावित है तथा जिसकी जिलेवार सूचना पृथक से दी जावेगी। अत यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा में किया जाना है। इसकी सतत् समीक्षा साप्ताहिक वीसी में की जावेंगी।

(शमीम उद्दीन)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्र. 16648/पं.रा./RGSA/2018 **भोपाल, दिनांक 11.12.2018**

प्रतिलिपि :

1. अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागायुक्त- समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त, मनरेगा परिषद्, नर्मदा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संचालक, पंचायत राज संचालनालय, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, DAY-NRLM भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. संचालक, एसआईआरडी जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत- समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान एवं पंचायती राज जबलपुर में अन्य केन्द्रों के संलग्नीकरण के निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 02/11/2018

आदेश

क्रमांक/RGSA/2018/22/पं.-1/प.उ.स./500/ पंचायत राज संचालनालय के नियंत्रणाधीन पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, उज्जैन एवं इन्दौर, जो कि क्रमशः क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, उज्जैन, इन्दौर के एक ही परिसर में हैं तथा पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर जो कि महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में है, की प्रशिक्षण अधोसंरचना के बेहतर उपयोग एवं प्रशासकीय नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, उज्जैन एवं इन्दौर का संलग्नीकरण क्रमशः क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, उज्जैन एवं इन्दौर तथा पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर का संलग्नीकरण महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान एवं पंचायत राज, जबलपुर अंतर्गत किया जाता है।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा आदेशित)

(शमीम उद्दीन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/RGSA/2018/22/पं.-1/पं.उ.स/501 **भोपाल, दिनांक 02/11/2018**

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बीज भवन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान एवं पंचायत राज जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संचालक, संजय गाँधी युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र पचमढ़ी, होशंगाबाद।
6. प्राचार्य, क्षेत्रीय/पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, उज्जैन, इन्दौर एवं जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. गार्ड फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग